अगस्त 2016

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
संतोष मिश्र

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

परामर्श
शिवानी वर्मा
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
अल्पना राठौर
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में

खास खबरें : प्रदेश विकास के लिये जोश, जुनून और ज़ज्बे की जरूरत	3
समाधान ऑनलाइन : जन-जन की समस्या का समाधान	8
उद्यानिकी-विशेष लेख : उद्यानिकी न केवल प्राणी अपितु राष्ट्र को भी स्वस्थ-समृद्ध बनायेगी	9
उद्यानिकी-विशेष : पर्यावरण परिवर्तन में संरक्षित खेती पॉली हाउस एकमात्र विकल्प	13
उद्यानिकी-आलेख : भूमि को सुफलाम बनाने हेतु उद्यानिकी	16
साक्षात्कार : प्रगतिशील कृषक ओम ठाकुर	18
उद्यानिकी-योजनाएँ : मध्यप्रदेश में उद्यानिकी और वानिकी योजनाएँ	19
उद्यानिकी-सफल गाथा : खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सकारात्मक पहल	30
मनरेगा-उद्यानिकी - मनरेगा नंदन फलोद्यान से लखपति बन रहे किसान	32
पंचायत : चौपालों में खिलतीं विकास की कलियां	34
पंचायत गजट : व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती को प्रोत्साहन योजना	36
चिट्ठी-चर्चा	48

आयुक्त की कलम से...

OrdZ Ho$ {bE O $ar C m

प्रिय पाठको,

उद्यानिकी जीवन के केन्द्र में है। फल, फूल, सब्जी आदि उद्यानिकी में आती हैं। यह सारी चीजें सृष्टि के प्राणी मात्र के लिए उपयोगी हैं। जीवन रस शरीर में खाद्य पदार्थ के रूप में और स्वस्थ मन के लिए फूल उपयोगी हैं। फूलों से सकारात्मक ऊर्जा, प्रसन्नता आती है। अत: उद्यानिकी की खेती न सिर्फ शरीर के लिए जरूरी है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और जीवन के लिए भी जरूरी है।

यदि उद्यानिकी की खेती–जैविक आधार पर होगी तो यह ज्यादा उपयोगी है। जैविक आधार प्रकृति का आधार है। संसार में समस्या इसलिए है कि रासायनिक खेती हो रही है, खेती में रसायन तकनीक शामिल हो गयी है। इसका परिणाम जीवन के विकास विस्तार में चाहे जो हो लेकिन हम फल, सब्जी की सुगंध और स्वरूप में देख रहे हैं। पहले फूलों की खुशबू की मोहकता प्रकृति सम्पन्न हुआ करती थी, उसमें कमी आ गयी है।

जरूरत इस बात की है कि कहीं न कहीं जीवन, कृषि और उद्यानिकी में अनुपात निश्चित होना चाहिए। धरती में कितने प्रतिशत पर जीवन हो, कितने पर कृषि, कितने पर वन और कितने प्रतिशत उद्यानिकी हो यह सुनिश्चित किया जाये। जीवन की आपाधापी में हम प्रकृति को भूल गये थे। बहुत कुछ खोकर हम वनों और पौधरोपण की उपयोगिता तो समझ गये हैं लेकिन उद्यानिकी को अभी तक नहीं समझे हैं।

आज आवश्यकता है कि शोध और अनुसंधान के साथ उद्यानिकी व्यवहार में आये और धरती पर दिखे। विशेषकर आज के युग में जीवन पर कई तरह के प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके लिए भी उद्यानिकी बहुत आवश्यक हो गयी है। उद्यानिकी जीवन के केन्द्रभूत तत्व को संवर्धित करने के लिए जरूरी होने के साथ समाज के आर्थिक उन्नयन के लिए भी आवश्यक है।

कृषि और वानिकी में संतुलन उद्यानिकी से है। आज जब मौसम बदल रहा है तब खेतों की मेड़ों पर कई पौधे कम से कम पानी अथवा अधिकतम पानी में भी विकसित हो जाते हैं। बदलते मौसम और घटती जमीन के बीच उद्यानिकी एक ऐसा माध्यम है जो किसानों को ही नहीं, नगरीय जीवन के श्रमिक को भी आर्थिक उन्नति प्रदान कर सकता है।

उद्यानिकी के इस विशेषांक में उद्यानिकी के विविध पक्षों और शासन के सहयोग को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। आशा है यह अंक आपके लिए उपयोगी होगा।

हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

(संतोष मिश्र)
आयुक्त, पंचायत राज

प्रदेश विकास के लिये

जोश, जुनून और ज़ज्बे की जरूरत

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ देते हुए अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के विकास और लोगों की तरक्की के लिये समर्पित प्रयासों की यात्रा निरंतर जारी है। श्री चौहान ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को नमन किया। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करें और नये संकल्प के साथ मध्यप्रदेश के विकास में जुट जायें। श्री चौहान ने राजधानी के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होंगे स्थायी

मुख्यमंत्री ने कहा कि दैनिक वेतनभोगियों को स्थायी कर्मियों के रूप में लिया जायेगा ताकि उन्हें भी वेतनमान, वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता आदि की सुविधाएँ मिलेंगी। साथ ही उनकी योग्यतानुसार अन्य विभागों में उनका समायोजन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कार्यभारित कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति

प्रदेश के विकास के लिये उसी तरह के जोश, जुनून और जज्बे की जरूरत है, जैसा स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों ने दिखाया था। मध्यप्रदेश में रोज़गार की नई संभावनाएं चिन्हित करने और पात्र लोगों को रोज़गार दिलवाने के लिये रोज़गार केबिनेट बनाई जायेगी। राज्य सरकार ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना के लिये प्रतिबद्ध है जिसमें बिना भेदभाव के सभी को विकास का लाभ मिले। यह विचार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में व्यक्त किये।

का लाभ मिलेगा। शासकीय कर्मियों को सातवाँ वेतनमान दिया जायेगा। श्री चौहान ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जन्मस्थली आजादनगर, अलीराजपुर से 'याद करो कुर्बानी' कार्यक्रम के शुभारंभ का उल्लेख करते हुए कहा कि भोपाल में शौर्य स्मारक एवं धावाबावड़ी, बड़वानी, में भीमा नायक स्मारक का शीघ्र लोकार्पण किया जायेगा।

आनंद विभाग का गठन

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश आनंद विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। इसी के अंतर्गत राज्य आनंद संस्थान भी बनाया गया है। किसानों के हितों के संरक्षण के लिये अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री चौहान ने कहा कि विगत वर्ष प्राकृतिक आपदा प्रभावित किसानों को 5000 करोड़ से अधिक की राहत राशि भी वितरित की गई। कृषि से जुड़े क्षेत्रों में किये गये प्रयासों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में जहाँ देश में दुग्ध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 6.27 प्रतिशत थी, वहीं मध्यप्रदेश की वृद्धि दर 12.70 प्रतिशत रही है।

बिजली में सरप्लस

विगत 10 साल में सिंचाई क्षमता में वृद्धि की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई का रकबा 40 लाख हेक्टेयर हो गया है। उन्होंने कहा कि बिजली के मामले में मध्यप्रदेश सरप्लस राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत उत्पादन क्षमता को वर्ष 2022 तक 22 हजार मेगावॉट से अधिक किया जायेगा। वर्तमान में प्रदेश में 17 हजार 169 मेगावॉट बिजली की उपलब्धता है। किसानों को विद्युत प्रदाय में विगत वर्ष लगभग सात हजार करोड़ की सब्सिडी दी गई। नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता 3 हजार 176 मेगावॉट हो गई है।

ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र बताते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 5 लाख 40 हजार ग्रामीण शौचालयों का निर्माण किया गया, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के चुनावों में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के आवास परिसर में शौचालय होना अनिवार्य किया गया है। आगामी तीन साल में सभी गाँव बारहमासी सड़कों से जुड़ जायेंगे।

पर्यावरण विभाग का गठन

वन सम्पदा समृद्धि की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर कान्हा टाइगर रिज़र्व तथा सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व को पुरस्कृत किया गया। पहली बार तेन्दू पत्ता संग्राहकों को ई-पेमेंट से भुगतान किया गया है। प्रभावी रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिये पर्यावरण विभाग का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में एक करोड़ 16 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को शहर की किसी भी उचित मूल्य दुकान से सामग्री लेने की सुविधा भोपाल, इन्दौर एवं खण्डवा शहर में लागू कर दी गई है।

श्री चौहान ने नगरों के सुनियोजित विकास के संबंध में कहा कि स्मार्ट सिटी योजना में भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर शहर में कम्पनी का गठन हो गया है। उज्जैन में

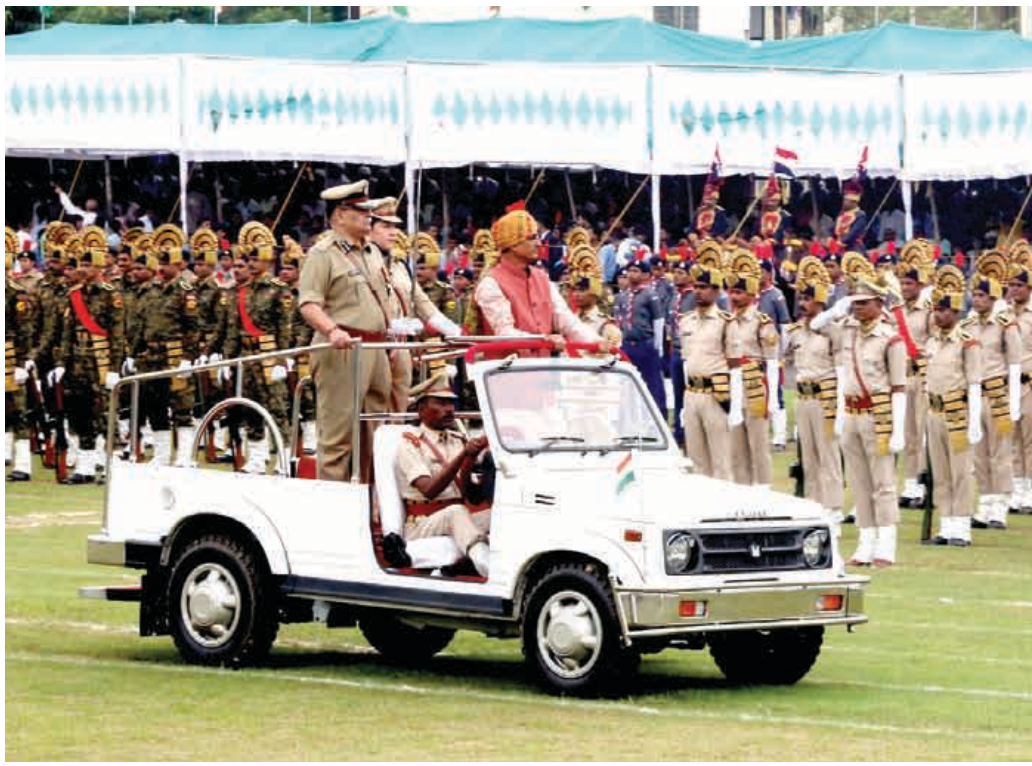

सिंहस्थ महाकुंभ के सफल आयोजन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मानवता के नाम 51-सूत्रीय सार्वभौम अमृत संदेश जारी किया गया। उन्होंने सिंहस्थ के सफल आयोजन के लिये सभी को बधाई दी और कहा कि ऐसा आयोजन कहीं नहीं हुआ।

2000 नये उप-स्वास्थ्य केन्द्र

'स्वस्थ मध्यप्रदेश' की अवधारणा को साकार करने का संकल्प दोहराते हुए श्री चौहान ने कहा कि 11 नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 2000 नये उप स्वास्थ्य केन्द्रों को मंजूरी दी गई है।

लाडो अभियान से 82 हजार से अधिक बाल विवाह रोके गये। लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ 23 लाख बालिकाओं को मिल चुका है। कक्षा छटवीं में आने पर 17 हजार लाड़लियों को 2000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है। स्कूली शिक्षा सुविधा विस्तार के प्रयासों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यापक संवर्ग को एक जनवरी 2016 से छठवाँ वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिये विभाग

उद्योग क्षेत्र की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि वर्ष 2014 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद अब तक ढाई लाख करोड़ का निवेश हुआ है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये अलग विभाग का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्व-रोज़गार और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में गत वर्ष 72 हजार हितग्राहियों को लाभ दिया गया। लगभग 48 हजार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में पाँच हजार करोड़ रुपये का पूँजी निवेश और करीब दो लाख लोगों को रोज़गार मिला है।

अनुसूचित जाति-जनजाति के विकास के लिये प्रतिबद्ध

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिये संकल्प दोहराते हुए श्री चौहान ने कहा कि आदिवासी विकासखण्ड में सामुदायिक विकास प्रशिक्षण एवं रोज़गार की योजनाओं में लगभग 5500 युवाओं को लाभ

मिला। राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक हितों के संरक्षण के लिये कटिबद्ध है। सामाजिक न्याय की दिशा में प्रयासों का उल्लेख करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना में अब तक कुल 3 लाख 68 हजार 431 जोड़ों और निकाह योजना में 8 हजार 353 जोड़ों का विवाह हुआ है।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को पाँच पर्यटन पुरस्कार मिलने की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि पिछले वर्षों में प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास खंड स्तर पर ग्रामीण खेल परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था में निरंतर सुधार के पुलिस बल में 6250 नवीन पद की स्वीकृति दी गई है। सभी थानों का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो गया है।

भूमि स्वामी एवं बटाईदार के हितों का कानून

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए रोड-मेप तैयार कर लिया गया है। इस वर्ष सहकारिता के क्षेत्र में 15 हजार करोड़ का ऋण वितरण किया जायेगा। मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना में किसानों को वस्तु ऋण के लिये 370 करोड़ का अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।

प्रदेश में बटाई पर जमीन देने तथा लेने वाले दोनों के हित संरक्षण के लिए 'मध्यप्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण बिल-2016' बनाया गया है। इस कानून में भूमि-स्वामी अनुबंध के द्वारा अपनी भूमि दे सकेगा। भूमि पर स्वामित्व भू-स्वामी का ही रहेगा। इससे कृषि भूमि का रकबा तथा उत्पादन बढ़ेगा और जिससे बटाईदार और भू-स्वामी दोनों को लाभ होगा।

उद्यानिकी को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में देश के प्रमाणीकृत जैविक खेती का 32 प्रतिशत क्षेत्रफल मध्यप्रदेश में है। इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जायेगा। उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिये लगभग 600 क्लस्टर विकसित किये जायेंगे। आगामी एक साल में 50 हजार हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें ली जायेंगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जायेगी। प्याज के बेहतर भण्डारण की व्यवस्था के लिये अगले दो साल में पाँच लाख मीट्रिक टन प्याज भण्डारण की क्षमता विकसित की जायेगी। किसानों को नुकसान से बचाने के लिये सरकार ने जो प्याज खरीदा है उसे गरीबों में बाँटा जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक योजना का काम जारी है। इससे 50 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। नर्मदा घाटी की सिंचाई परियोजनाओं से अगले वर्ष पाँच लाख 50 हजार हेक्टेयर रकबा सिंचित किया जायेगा।

'नमामि देवि नर्मदे' यात्रा नवंबर में

'हरियाली चुनरी योजना' में नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं जलग्रहण क्षेत्र उपचार किया जा रहा है। माँ नर्मदा के जल को शुद्ध बनाये रखने में आमजन की सहभागिता के साथ 'नमामि देवि नर्मदे' यात्रा नवम्बर में प्रारम्भ की जाएगी। नर्मदा नदी के दोनों तटों से एक-एक किलोमीटर चौड़ाई में एक वर्ष में 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फल-पौध रोपण किया जायेगा। मध्यप्रदेश दीनदयाल अन्त्योदय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गाँवों में रहने वाली 16 लाख 46 हजार निर्धन महिलाएँ सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का नया इतिहास लिख रही हैं। हर परिवार को भूखण्ड एवं आवास देने के लिये आवासीय भूखण्ड का पट्टा देने का अभियान चलाया गया है। वर्ष 2022 तक कोई भी नागरिक आवासहीन नहीं रहेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में प्रदेश की एक-तिहाई राशन दुकानें यथासंभव महिलाओं की संस्थाओं को आवंटित की जायेंगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक दुकान खोली जायेगी। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में गरीब महिलाओं को वर्ष के अंत तक 20 लाख नवीन गैस कनेक्शन दिये जायेंगे।

श्री चौहान ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के दूसरे चरण के लिये ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं सतना शहरों के प्रस्ताव भेजे गये हैं। राज्य सरकार अपने साधनों से अन्य शहरों को स्मार्ट सिटी का रूप देने की योजना बन रही है।

स्वास्थ्य संवाद केन्द्रों की स्थापना

स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच बढ़ाने के लिये सभी जिला चिकित्सालयों में आज से 'स्वास्थ्य संवाद केन्द्र' की स्थापना की जा रही है। जबलपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट एवं ग्वालियर में कैंसर केयर सेंटर की स्थापना की जा रही है। चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में 2000 बिस्तर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिये करीब 436 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। ई-रक्त कोष का एकीकृत साफ्टवेयर शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिये 4305 नवीन आँगनवाड़ी केन्द्र और 600 मिनी आँगनवाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे।

नैतिक शिक्षा और योग पाठ्यक्रम में शामिल

श्री चौहान ने कहा कि नैतिक शिक्षा और योग को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का फैसला लिया है। पाठ्यक्रमों में समय और आज की जरूरतों के अनुसार सुधार कर रोज़गारोन्मुखी बनाया जायेगा।

मुख्यमंत्री मेधावी छात्र सहायता योजना का शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक कारणों से योग्य विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रहें इसलिये मुख्यमंत्री मेधावी छात्र सहायता योजना प्रारम्भ की जायेगी। इसके लिये 1000 करोड़ तक का फण्ड बनाया जायेगा। शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को स्मार्टफोन प्रदाय किया जाना प्रारंभ हो गया है। इस साल साढ़े तीन लाख छात्रों को स्मार्टफोन दिये जायेंगे। शहडोल में पंडित एस.एन. शुक्ला महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।

नौ नये उद्योग क्षेत्रों की स्थापना

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की प्राथमिकता रेखांकित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष 22-23 अक्टूबर को इन्दौर में 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2016' किया जा रहा है। वर्ष 2020 तक 2600 हेक्टेयर भूमि पर 2000 करोड़ की लागत से नौ नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जायेगी। अब तक ढाई लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रदेश में आ चुका है। शिक्षा को और अधिक गुणवत्तायुक्त बनाने हेतु संविदा शाला शिक्षकों के लगभग 20 हजार पद भरे जाएंगे। ज्ञानोदय विद्यालय की सीट संख्या बढ़ाकर 6 हजार 400 की जा रही है। इन्दौर, जबलपुर और भोपाल में 720 सीटर आवासीय उत्कृष्ट विद्यालय 'गुरुकुलम्' प्रारंभ किए जाएंगे।

सायबर अपराधों के निराकरण के लिए विशेष न्यायालय

कानून-व्यवस्था की दृष्टि से मध्यप्रदेश को आदर्श राज्य बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना-प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगामी एक वर्ष में डायल-100 योजना में 200 वाहन और बढ़ाये जायेंगे। पचास नये शहरों में सी.सी.टी.वी. आधारित सुरक्षा एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की जायेगी। सायबर और उच्च तकनीकी अपराधों के निराकरण के लिए जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में विशेष न्यायालयों का गठन किया जायेगा।

टीम इंडिया के रूप में
देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें

मध्यप्रदेश के भाबरा में 9 अगस्त को आज़ादी 70 याद करो कुर्बानी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज अगस्त क्रांति दिवस है। आज महात्मा गाँधी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ो का आह्वान किया था। आज फिर से अवसर है कि आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया उनका स्मरण करें। उन्होंने शहीदों और उनके बलिदान को याद करते हुए कहा कि वे जिन महान उद्देश्यों को लेकर लड़े, उन उद्देश्यों की पूर्ति का प्रण लें। उन्होंने जिस भारत का सपना देखा, उसे पूरा करने का हर देशवासी संकल्प ले। आजादी के बाद 70 वर्षों में देश का जितना विकास होना चाहिये था उतना हुआ नहीं। आज भी देश में हजारों गाँव ऐसे हैं जिनमें बिजली नहीं है। केन्द्र सरकार ने एक हजार दिनों में इन गाँवों में बिजली पहुँचाने का संकल्प लिया है। पिछले एक वर्ष में ऐसे आधे से अधिक गाँवों में बिजली पहुँचाई जा चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि पर आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी हैं। देश को आजादी दिलाने में हजारों देशभक्त और क्रांतिकारियों के बलिदान का महत्वपूर्ण योगदान है। सम्पूर्ण देश में 9 से 23 अगस्त तक क्रांतिकारियों को याद करने का उत्सव मनाया जायेगा। केन्द्र सरकार का यह प्रयास अभिनंदनीय है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे देशभक्ति के जज्बे से काम करें।

पूरा हिन्दुस्तान आजादी के लिये एक होकर लड़ा था। आज फिर देश के रूप में एक सपने को लेकर आगे बढ़ने का अवसर है। देश के लिये कुछ करने का संकल्प लें। उत्साह और उमंग से काम करें, तो देश आगे बढ़ेगा। जनशक्ति में देश को आगे बढ़ाने की ताकत होती है। सवा सौ करोड़ देशवासी टीम इंडिया के रूप में देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। सभी नागरिक देश के लिये जियें और गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित और वंचितों के जीवन में बदलाव लाने के लिये काम करें।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कश्मीर के विकास के लिये हर संभव मदद

प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर हर देशवासी के लिये स्वर्ग भूमि है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इंसानियत, कश्मीरियत और जम्मूरियत का मार्ग अपनाया था। हम इसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आजादी के सेनानियों ने जो आजादी देश को दिलाई वही आजादी हर कश्मीरी को भी मिली है। उन्होंने कहा कि मुट्ठीभर गुमराह हुए लोग कश्मीर की महान परंपरा को ठेस पहुँचा रहे हैं। हम कश्मीर को विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और कश्मीर की युवा पीढ़ी को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना चाहते हैं। उन्होंने कश्मीर के युवाओं का आह्वान किया कि कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग बनाने के संकल्प के लिये मिलकर काम करें।

जन-जन की समस्या का समाधान

- **जन-समस्याओं का गंभीरतापूर्वक समाधान हो।**
- **तत्कालीन कलेक्टर सहित तीन उप संचालक कृषि निलंबित।**
- **रतलाम नगर निगम आयुक्त स्थानांतरित।**
- **13 आवेदकों की समस्याओं का हुआ समाधान।**
- **मौसमी बीमारियों और पेयजल व्यवस्था की सतत मॉनीटरिंग की जायेगी।**
- **मनरेगा की मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पेंशन वितरण में विलंब न करने की हिदायत।**

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 अगस्त 2016 को समाधान ऑनलाइन में कहा है कि जन-समस्याओं का गंभीरतापूर्वक समाधान किया जाये। किसी प्रकार की अनियमितता मिलने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर कठोर कार्रवाई की जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जन-समस्याओं के समाधान में उदासीनता बरतने के अलग-अलग मामलों में कटनी के तत्कालीन कलेक्टर श्री प्रकाश जांगरे, सिवनी जिले में 2010 से पदस्थ तीन उप संचालक कृषि श्री के.एस. टेकाम, श्री एस.के. धुर्वे और श्री पी.डी. सराठे को निलंबित करने के निर्देश दिये। इसी क्रम में आयुक्त नगर निगम रतलाम श्री सोमनाथ झारिया को भी तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने के लिए कहा गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाधान ऑनलाइन में प्राप्त शिकायतों के समाधान की समीक्षा की। समस्या के मूल में जाकर उसके स्वरूप और निराकरण के लिए किये गये प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सख्त अंदाज में बताया कि जन-समस्याओं के निराकरण की वर्तमान स्थिति से वे अत्यधिक अप्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी मामले के निराकरण में दिक्कत आती है तो उसके समाधान के प्रभावी प्रयास किये जायें। व्यवस्था में परिवर्तन की यदि आवश्यकता है, तो उस दिशा में प्रयास किये जायें। उन्होंने मनरेगा की मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पेंशन वितरण में विलंब को असहनीय बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, एफ.टी.ओ., डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आदि व्यवस्थाएँ, गरीब को सरलता से मदद मिले इसके लिए बनाई गई हैं। यदि ये गरीब को उसका हक दिलाने में बाधक बन रही हैं तो बदलने के प्रयास किये जायें। उन्होंने कलेक्टरों को पेंशन वितरण में शहडोल जिले में किये गये नवाचारों का अध्ययन करने के निर्देश दिये।

श्री चौहान ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस में कोई ढील बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारी ऐसे प्रकरणों में गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करें। दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवायें। उन्होंने कहा कि यदि जिला स्तर पर गड़बड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित जिलों के अधिकारियों का भी दायित्व निर्धारित होगा। उन्होंने अधिकारियों को निरंतर निरीक्षण करने और अधिकारों का जनहित में उपयोग करने की समझाइश दी। उन्होंने मौसमी बीमारियों और पेयजल व्यवस्था की सतत मानीटरिंग करने के लिए भी कहा। श्री चौहान ने अधिकारियों को प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाने की जरूरत बताई है। उन्होंने जन-प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद की नियमितता बनाने और छात्रवृत्ति, साईकिल, फसल बीमा की राशि सहित ऐसी अन्य योजनाओं के हित लाभ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर वितरित करवाने के निर्देश दिए।

CÚm{ZH$s Z Ho$db àn amï ´ > H$mo ^r ñdñW-g‘¥

इस निष्कर्ष पर अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक मत हैं कि संसार की समस्त सक्रियता के केन्द्र में प्राणियों का शरीर है एवं यही सक्रियता, समस्त प्रगति, अवनति, पुण्य या पाप का माध्यम है। प्राणी की बुद्धि, बल, विद्या, कौशल और ज्ञान की अभिव्यक्ति केवल शरीर के माध्यम से ही सामने आती है। इसलिए विज्ञान, अध्यात्म और चिकित्सा जगत ने सबसे पहले शरीर को स्वस्थ एवं संपुष्ट रखने का निर्देश दिया है। जिसे अन्न के साथ फल-सब्जी और औषधि से ही स्वस्थ एवं सबल रखा जा सकता है।

उद्यानिकी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें फूल-फल, सब्जी मसाले औषधि पौधे तथा इसी श्रेणी में आने वाले अन्य उत्पादन शामिल हैं। फूलों की खुशबू जहां मन को प्रसन्नता देती है तो फल शरीर के प्रत्येक अंग को पुष्ट करने का आधार है वहीं सब्जियां शरीर में मिनरल्स की जरूरतों को पूरा करती हैं तो औषधियों से रोगों का उपचार। इन सबको मिलाकर की जाने वाली खेती को उद्यानिकी कृषि का नाम दिया गया है। उद्यानिकी के उत्पाद केवल प्राणियों को स्वस्थ रखने का ही काम नहीं करते बल्कि इसकी फसल उगाने वाले कृषकों को समृद्ध भी करते हैं।

जिस जमाने में भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, उस जमाने में भारत के उत्कृष्ट व्यापार में उद्यानिकी के उत्पाद भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। भारत से जिन वस्तुओं का निर्यात होता था उनमें शिल्प आदि अन्य कौशल के अलावा मसाले, औषधियां, सुगंधित इत्र भी शामिल थे, इसके बदले में सोना आया करता था लेकिन समय के साथ भारत में उद्यानिकी उत्पाद कम हुआ, निर्यात घटा और भारत की गिनती दरिद्र राष्ट्रों में होने लगी। इतिहास के विवरण इस बात के प्रमाण हैं कि उस काल में भारत का मध्य क्षेत्र

‘Ü ¶ àXoe Ho$ ‘w» ¶ ‘ § Ìr Ìr {edamO qgh Mm¡hmZ H$s O‘rZr gmoM Ho$ MbVo ‘Ü ¶ àXoe Zo H¥${f CËnmXm| ‘| AnZm Zm‘ H$‘m ¶ m h¡& bJmVma Mma gmb H¥${f H$‘©U AdmS>© OrVm h¡&

जिसके अधिकांश भू-भाग को हम आज का मध्यप्रदेश कहते हैं, को कृषि और वन आधारित दोनों उत्पादों में सर्वश्रेष्ठता हासिल थी इसीलिए मध्यप्रदेश का मालवा सदैव देश राजधानी, उपराजधानी अथवा ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है जिस पर तत्कालीन विश्वसत्ताएं सर्वाधिक ध्यान दिया करती थीं।

आज मध्यप्रदेश में कुपोषण के आंकड़े चिंतनीय हैं, आर्थिक दवाब भी है। निसंदेह मध्यप्रदेश की मौजूदा सरकार और उसके मुखिया मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जमीनी सोच के चलते मध्यप्रदेश ने कृषि उत्पादों में अपना नाम कमाया है। लगातार चार साल कृषि कर्मण अवार्ड जीतने का काम किया है फिर भी उद्यानिकी के क्षेत्र में ठीक उसी प्रकार लगनशील अभियान और जागृति की जरूरत है जैसा कृषि के प्रोत्साहन के लिए किया जा रहा है। यद्यपि कृषि उत्पाद के ग्राफ और आंकड़ों में उद्यानिकी की प्रगति भी शामिल है लेकिन फिर भी उद्यानिकी के मामले में जनजागृति और सामाजिक चैतन्यता की जरूरत है। उद्यानिकी प्राणी के जीवन में दो स्तरीय उन्नति का काम करती है। जीवन की भौतिक जरूरतों के लिए उद्यानिकी के उत्पाद जितने जरूरी हैं उससे ज्यादा जरूरी प्राणी मात्र की मानसिक सामर्थ्य की वृद्धि के लिए भी उद्यानिकी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, फूलों की खेती जितनी व्यवसाय के लिए या अपनी आजीविका के लिए जरूरी है उससे ज्यादा फूलों की खुशबू मानसिक शांति, प्रफुल्लता और सकारात्मकता के लिए भी आवश्यक है। केवल इतना ही नहीं कि फूलों की खुशबू से मन प्रसन्नता होता है और अतिथि की प्रसन्नता के लिए फूलों की माला या गुलदस्ता भेंट किया जाता है बल्कि फूलों की खुशबू वातावरण में फैली दुर्गंध को नष्ट करती है।

आज विज्ञान के अनुसंधानों का निष्कर्ष है कि कोई भी गंध जो मोहक हो अथवा कष्टकारी वह किसी न किसी 'बेक्टीरिया के कारण होती है। जिस प्रकार शरीर के भीतर सकारात्मक सेल, बीमारी के नकारात्मक सेलों को नष्ट करती है और हमें स्वस्थ रखती है, उसी प्रकार वातावरण में फैला फूलों की सकारात्मक सुगंध का बेक्टीरिया नकारात्मक गंध यानि बदबू के बेक्टीरिया को नष्ट कर वातावरण को स्वच्छ करता है।

आज मौसम में बहुत बदलाव आया है। वहीं समाज सफलता के शिखर पर जाता है जो बदलते वक्त जरूरतों और मौसम के बदलते मिजाज के अनुसार खुद को ढाले। ऐसे में फसल चक्र के बीच अथवा फसल चक्र के साथ उद्यानिकी की फसल किसानों के लिए उपयोगी हो सकती है। यदि उद्यानिकी के लिए जमीन न हो, खेत न हों तो मकान की छतों पर भी उद्यानिकी करके ताजा फूल और सब्जी प्राप्त की जा सकती हैं। नगरीय क्षेत्र के भवनों में किचन और बाथरूम के पानी के निकास को कुछ इस तरह बनाया जा सकता है कि उससे उद्यानिकी की जा सकती है। विशेषकर, किचन से निकलने वाला कचरा जिसमें सब्जी के डन्ठल, पत्ते, छिलके, अन्न की जूठन आदि बेहतरीन खाद हो सकते हैं यह परंपरा भारत में पुरानी रही है। यूरोप ने इसी को सीखा और अब किचन गार्डन का रूप लेकर लौटी है।

इन तमाम जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश शासन ने वर्ष 1982 में उद्यानिकी विभाग का गठन किया जिसका उद्देश्य उद्यानिकी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है। उच्च प्रजाति के पौधों का उत्पादन एवं वितरण, सब्जी एवं मसाला फसलों का विकास, औषधीय एवं

सफल गाथा - उद्यानिकी

गुलाब की खेती से सम्पन्नता की ओर

मैं बालकृष्ण मिश्रा, ग्राम गोदहा, विकासखण्ड सिरमौर का कृषक हूं। हम लोग यहां पहले कोदों, ज्वार, अरहर आदि की फसल अपने खेतों में ले रहे थे। फिर सोयाबीन की फसल का भी प्रयास किया तो उत्पादन ठीक नहीं मिल पाया। तब कुछ सब्जियों का उत्पादन खुले में लगाकर किया गया किन्तु विगत कुछ वर्षों से लगातार खराब मौसम, अति वर्षा एवं ओला पड़ने के कारण फसलें नष्ट होती गईं एवं लगातार नुकसान होता गया। खेती से पूरी तरह निराशा के बाद कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से मैंने मध्यप्रदेश के रीवा उद्यानिकी विभाग में संपर्क किया। उन्होंने मुझे संरक्षित खेती की सलाह दी एवं पॉली हाउस संरचना के निर्माण कराने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। विभाग के सहयोग से मैंने चार हजार वर्ग मी. (4000 वर्ग मी.) पॉली हाउस का निर्माण करवाया एवं पुष्प की खेती करवाई। विभागीय सलाह से गुलाब की खेती के लिए विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमें प्रशिक्षण दिया गया और उन स्थानों का भ्रमण कराया गया जहां इस पद्धति से खेती की जा रही थी। फरवरी 2015 में मैंने गुलाब की खेती की शुरुआत की और चार माह में लगभग 75,000 रुपये के पुष्प बाजार में विक्रय किये। अब मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मौसम की मार के इस दौर में किसानों के लिए संरक्षित (पॉली हाउस) अत्यंत लाभकारी और वरदान स्वरूप है।

प्रदेश फल, फूल, सब्जी, मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होकर देश में अग्रणी उत्पादक की भूमिका अदा करे, इस हेतु राज्य शासन एवं भारत सरकार के उपक्रमों तथा संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश की उद्यानिकी संपदा में वृद्धि करने के लिये संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी का गठन इस उद्देश्य से किया गया कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार के साथ-साथ उच्च प्रजाति के पौधों का उत्पादन एवं वितरण, सब्जियों, मसाले, पुष्प औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उन्नत बीज, कन्द उपलब्ध हो सकें आदि। साथ ही कृषकों को उनके उत्पादों के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, परिरक्षण एवं विपणन की जानकारी मिल सके।

सुगंधित फसलों का विकास, उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को प्रोत्साहन, फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत शीत श्रृंखला को प्रोत्साहन, व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती का विकास, आधुनिकतम तकनीकी का प्रचार-प्रसार एवं कृषकों को प्रशिक्षण एवं भ्रमण, उद्यानिकी उत्पादन का भण्डारण, विपणन एवं प्रसंस्करण व्यवस्था का समन्वय एवं उद्यानिकी में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना है ताकि किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो सकें और देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा सकें। अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि किसी भी देश-प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास की गति कृषकों के उत्थान से ही सफल हो सकती है जिसके लिये प्रदेश के विकास में उद्यानिकी एक सशक्त माध्यम है। प्रदेश फल, फूल, सब्जी, मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होकर देश में अग्रणी उत्पादक की भूमिका अदा करे, इस हेतु राज्य शासन एवं भारत सरकार के उपक्रमों तथा संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश की उद्यानिकी संपदा में वृद्धि करने के लिये संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी का गठन इस उद्देश्य से किया गया कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार के साथ-साथ उच्च प्रजाति के पौधों का उत्पादन एवं वितरण, सब्जियों, मसाले, पुष्प औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उन्नत बीज, कन्द उपलब्ध हो सकें आदि। साथ ही कृषकों को उनके उत्पादों के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, परिरक्षण एवं विपणन की जानकारी मिल सके।

फल पौध रोपण योजना

प्रदेश की भूमि जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर यह योजना प्रदेश में संचालित है। योजना में कृषकों को आम, अमरूद, संतरा, मौसंबी, सीताफल, बेर, चीकू एवं अंगूर टिशु कल्चर पद्धति से उत्पादित अनार, स्ट्राबेरी एवं केला, संकर बीज से उत्पादित मुनगा एवं पपीता तथा बीज से उत्पादित नींबू के उच्च एवं अति उच्च सघनता के ड्रिप सहित फल पौध रोपण पर कृषकों को इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षों में देय है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक कृषक को 0.25 से 4.00 हेक्टेयर तक फल पौध रोपण पर अनुदान देय है।

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत

उन्नत/संकर सब्जी फसल के लिये इकाई लागत का 50 प्रतिशत बीज वाली फसलों हेतु अधिकतम 10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर तथा सब्जी की कंदवाली फसल जैसे आलू, अरबी के लिये अधिकतम रुपये 30,000/- प्रति हेक्टेयर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टेयर तक का लाभ दिया जा सकता है।

कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम

कृषकों को उद्यानिकी फसलों की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु कृषकों को राज्य के अंदर तथा राज्य के बाहर भ्रमण कराकर प्रशिक्षित कराया जाता है।

प्रदर्शनी मेला तथा प्रचार-प्रसार

योजनांतर्गत विभागीय योजनाओं एवं फल, फूल, सब्जी एवं मसाला वाली फसलों की तकनीक की जानकारी कृषकों तक पहुंचाने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शनी एवं सेमिनार आयोजित कर योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त कृषक जो आधुनिक यंत्रों का उपयोग उद्यानिकी फसलों में करना चाहते हैं, उन्हें ऐसे यंत्रों पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान दिया जाता है। वहीं औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना के तहत कृषक को स्वेच्छा से क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल के क्षेत्र विस्तार हेतु फसलवार 20 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान देय है। प्रत्येक कृषक को योजनान्तर्गत 0.25 हेक्टर से 2 हेक्टर तक लाभ देने का प्रावधान है।

बाड़ी (किचन गार्डन) योजना

राज्य शासन की प्राथमिकता के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु, सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस योजना के अंतर्गत उनकी बाड़ी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर प्रति हितग्राही संख्या को रु. 75/- के सब्जी बीजों के पैकेट निःशुल्क वितरित किये जाते हैं।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना

राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (WCIP) की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2013-14 से किया जा रहा है।

संतरा, केला, पपीता, प्याज, मिर्च, बैंगन

टमाटर, बैंगन, प्याज, फूलगोभी, पत्तागोभी, हरी मटर, धनिया, लहसुन एवं आम की फसलें बीमा योजना के अंतर्गत आती हैं। कम वर्षा, अधिक वर्षा, बेमौसम वर्षा, कीट अनुकूल मौसम वायु गति, कम तापमान एवं अधिक तापमान के आंकड़ों में विचलन आने पर स्थानीय कृषकों को क्लेम देय होता है।

कृषक अंश

प्रीमियम अंश को 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। शेष प्रीमियम राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा बराबर-बराबर देय है जिसमें अधिक तापमान का प्रभाव, बीमारी अनुकूल मौसम, कीट अनुकूल मौसम, बेमौसम बारिश, अधिक बारिश, कम वर्षा लगातार सूखे के दिन, वायु गति, ओलावृष्टि आदि शामिल हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2014 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विशेष सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान स्वीकृत किया गया है जिससे इस क्षेत्र के उद्यमी प्रदेश में उत्पादित खाद्यान्न को प्रदेश में ही प्रसंस्करण कर कृषकों को उनके उत्पादन का समुचित मूल्य दिला सकेंगे। इससे नवीन निवेश के साथ-साथ प्रदेश में रोजगार के अवसर भी निर्मित होंगे।

● **रमेश शर्मा**

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार हैं)

सफल गाथा - उद्यानिकी

आम की फसल से कमाई कई गुना बढ़ी

मैं कामना प्रसाद पाठक पुत्र श्री हनुमान प्रसाद पाठक ग्राम चरैया विकासखण्ड हनुमना जिला रीवा का निवासी हूँ। मैं उद्यानिकी विभाग की आम फलोद्यान अनुदान योजना से लगभग 10 वर्षों से जुड़ा हूँ। रकबा 20 एकड़ (8 हैक्टेयर) क्षेत्रफल में 800 कलमी आम की विभिन्न प्रजातियाँ जैसे लंगड़ा, दशहरी, कजली, मल्लिका, आम्रपाली, सफेदा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन आदि किस्मों का रोपण किया है। मुझे लगभग 10 से 12 लाख रु. प्रति वर्ष आमदनी प्राप्त हो रही है। पौधों के रखरखाव में 2 लाख रुपये खाद, दवा, सिंचाई, निंदाई, गुड़ाई में व्यय होने के उपरांत 8 से 10 लाख रुपये शुद्ध आय प्राप्त हो रही है। इसी वर्ष 400 पौधे अनार, कलमी टिशू कल्चर विधि से तैयार पौधे का रोपण 1.000 हैक्टेयर क्षेत्रफल में किया है। पौधों की वृद्धि को देखते हुए अच्छा उत्पादन होने की संभावना दिख रही है। कृषि फसलों की तुलना में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से लगभग 20 गुना आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मेरी कृषकों को यही सलाह है कि कृषि फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों का भी उत्पादन बढ़ाए।

पर्यावरण परिवर्तन में संरक्षित खेती
पॉली हाउस एकमात्र विकल्प

भारत वर्ष में परम्परागत खेती, लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा अपने परिवार एवं स्थानीय ग्रामीण समाज के लिए भोजन हेतु अन्न एवं आवश्यक पशु उत्पादन पैदा करने के रूप में जानी जाती है। हरित क्रांति प्रारंभ होने के उपरान्त उन्नत फसल किस्मों, रासायनिक उर्वरकों एवं फसल सुरक्षा हेतु रसायनों का उपयोग कर फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है।

वर्तमान समय में औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के कारण कृषि का रकबा सतत् रूप से कम होता जा रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने, ऊर्ध्वीय बर्फ के खण्डित होने, मानसून के तरीके में परिवर्तन, समुद्र के बढ़ते जल स्तर एवं घातक गर्म तरंगों से जलवायु में हुये परिवर्तन का प्रभाव कृषि उत्पादन में देखा जा रहा है।

जलवायवीय कारक जैसे तापमान, आर्द्रता एवं सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित कर कम रकबे में गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन देने वाली तकनीक "संरक्षित खेती" ही एक मात्र विकल्प है। संरक्षित खेती, कृषि की ऐसी परिष्कृत तकनीक है, जो पौधों की बढ़वार हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है। इस तकनीकी द्वारा प्रतिकूल मौसम जैसे अधिक वर्षा, तापमान, सौर विकिरण, पाला, कीट, रोग आदि से पौधों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

संरक्षित खेती से विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं जैसे भूमि एवं जल का बेहतर प्रबंधन, जैविक एवं अजैविक कारकों से फसल को सुरक्षा, बेमौसमी फसल उत्पादन संभव, जैविक खेती का मजबूत आधार, कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन संभव, शहरों के आसपास के क्षेत्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी है साथ ही गुणवत्तायुक्त उत्पादन प्राप्त होता है। संरक्षित खेती के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की संरचनायें जैसे-ग्रीन हाउस अथवा पॉली हाउस, शेडनेट हाउस या छाया घर, वॉक इन टनल, लो टनल आदि का उपयोग कर सफलता पूर्वक फसल उत्पादन किया जाता है।

ध्यान देने योग्य बातें

- लंबवत् एवं क्षैतिज स्थान का पूर्ण रूप से उपयोग करें।
- बेमौसमी फसल उत्पादन का चयन करें।
- केवल अनुशंसित फसल की किस्म का ही चयन करें।
- अधिकतम पौध सघनता अपनाएं।
- सौर्यीकरण द्वारा मृदा उपचार करें, जिससे रोग एवं कीट की रोकथाम की जा सके।
- रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ जैविक खादों का आवश्यक रूप से उपयोग करें।

पॉली हाउस की अवधारणा :- पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस खेती में ऑफ सीजन में फूल, सब्जियां उगाई जाती हैं। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सब्जी नर्सरी के उत्पादन में उपयोगी है। फसलों का चुनाव पॉली हाउस संरचना, बाजार की मांग पर निर्भर करता है। ग्रीन हाउस पॉलीथीन से बना हुआ अर्द्ध चंद्राकार या झोपड़ीनुमा संरचना होती है, जिसके अन्दर नियंत्रित वातावरण में पौधों को उगाया जाता है। इसमें उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक जैसे सूर्य का प्रकाश, तापमान, आर्द्रता आदि विभिन्न कारकों पर नियंत्रण होता है। ठण्ड की अधिकता में जहां खुले वातावरण में पाला पड़ने के कारण फसल आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती, वहीं पाली हाउस में सफलतापूर्वक इसका उत्पादन किया जा सकता है क्योंकि पॉली हाउस में पाले का प्रभाव नहीं पड़ता। पॉली हाउस में सूर्य प्रकाश की विकिरण से प्राप्त ऊर्जा पॉली हाउस के अंदर संचित की जाती है, जिससे इसका सूक्ष्म वातावरण बदल जाता है। तापमान बढ़ने से अधिकतर फसलों का उत्पादन पॉली हाउस के नियंत्रित वातावरण में संभव हो सकता है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में पॉली हाउस में तापमान की अधिकता होने पर फैन एवं पेड़ अथवा फॉगर एवं क्रॉस वेंटीलेशन के द्वारा तापमान को कम किया जा सकता है।

पॉली हाउस के लाभ

- सब्जियों का सफल एवं अधिक उत्पादन लिया जा सकता है।
- सब्जियों की नर्सरी के साथ-साथ फलों की नर्सरी हेतु अलैंगिक प्रवर्धन के लिये भी उपयुक्त वातावरण होता है।

ग्रीनहाउस एवं पॉली हाउस हेतु उपयुक्त फसल चक्र

फसल	अवधि/माहवार फसल चक्र	
	रोपाई	तुड़ाई
टमाटर	वर्ष भर फसल	उत्पादन संभव
हरी एवं रंगीन शिमला मिर्च	अक्टूबर-नवंबर	मार्च-मई
पालक (2 फसल)	जून-जुलाई	अगस्त-सितंबर
	नवम्बर-दिसम्बर	मार्च-अप्रैल
खीरा, पत्तेदार सब्जी	अप्रैल-मई	अक्टूबर-नवंबर
फूल-जरबेरा, कार्नेशन आदि	वर्ष भर	

पॉलीहाउस हेतु फसलों की उपयुक्त किस्में

फसल	उपयुक्त किस्में
	सब्जी
टमाटर	अविनाश-3, बादशाह हिमसोहन, नुन 7730, जी.एस. 600, नवीन, अर्का, वरदान, तनुजा
चैरी टमाटर	रोजा, लेला, शीजा, 818
शिमला मिर्च	लाल :- बाम्बी, एन-एस-280, नून-280, नून-3019, भारत पीला :- आरबेले, एन.एस.-281, स्वर्णा हरा :- इंदिरा, केलीफोर्निया वंडर, बुफैलो-476
खिर (गायनो डायसियस)	कियान, साईटिस, हिल्टन
	फूल
जरबेरा	सोनाटा, ग्लोरिया, नताशा
कार्नेशन	विलियस सिम, पिच डिलाईट, गोल्डी लौक
एन्यूरियम	रोड डल्फ, कैडी, सरप्राईज, जमैका
गुलाब	नोबालिस, ग्रेंडगाला, फस्ट रेड, सुमाराई, ट्रापीकल, अमेजान, बोर्डोक्स

- स्थान विशेष में कुछ सब्जियों को पॉली हाउस के अंदर वर्ष पर्यन्त उगाया जा सकता है।
- फसल उत्तम गुणवत्ता वाली होती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है।
- उत्पादकता कई गुना अधिक होती है।
- नियंत्रित वातावरण में फसल सुरक्षा आसान होती है।

स्थल का चुनाव :- पॉली हाउस के निर्माण के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल चुनाव होता है। ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहाँ कम से कम लागत लगे, साथ ही आवश्यक सामग्री, जो ग्रीनहाउस के निर्माण में सहायक हो, उसकी उपलब्धता नियमित और समय पर हो, ताकि इसके निर्माण और कार्यक्षमता में कम से कम बाधा आये। पॉली हाउस के नजदीक कोई भवन या वृक्ष नहीं होना चाहिए, जो प्रकाश के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, शहर या मार्केट के नजदीक हो, स्थल पर पर्याप्त ढलान होना चाहिए ताकि पानी की निकासी अच्छी तरह से हो सके एवं स्वच्छ और साफ पानी ग्रीन हाउस तक पहुंचाया जा सके।

फसलों का चयन :- फसलों का चयन करते समय विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। उच्च गुणवत्ता की सब्जी एवं फूलों की खेती करनी चाहिए, जिससे कम क्षेत्र में अधिक एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

सब्जी फसलों के अन्तर्गत टमाटर, रंगीन शिमला मिर्च, खीरा आदि फसलें लगाई जा सकती हैं, फूलों की फसलों में गुलाब, कार्नेशन, एन्थूरियम, जरबेरा आदि को लगाया जा सकता है एवं उच्च गुणवत्ता सब्जी नर्सरी उत्पादन तथा फल पौध प्रवर्धन का कार्य भी किया जा सकता है।

पॉली हाउस निर्माण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां

पॉली हाउस निर्माण के समय की गई छोटी त्रुटि भी भविष्य में इसके उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक हो सकती है। अतः ग्रीन हाउस निर्माण के समय निम्न बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है :-

- पूर्व-पश्चिम दिशा (एकल मेहराब) एवं उत्तर-दक्षिण दिशा (बहु मेहराब) में लाभप्रद होगा क्योंकि पूर्व-पश्चिम दिशा में ठंड के समय प्रकाश का आवागमन ज्यादा समय के लिए होता है, जो कि प्रकाश-संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है।
- हवा की रोकथाम के लिए वायु अवरोधी वृक्षों को उत्तर-पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, ताकि प्रकाश के मार्ग में बाधा उत्पन्न न हो और संरचना को भी तेज हवा से बचाया जा सके।
- G.I. पाईप, क्लास-2 (नीली पट्टी) और मोटाई कम से कम 2 मि.मी. होना चाहिए।
- ग्रीन हाउस के फ्रेम पर लगने वाली प्लास्टिक एवं जाली एल्यूमिनियम प्रोफाईल और जिग जैग स्प्रिंग लॉक द्वारा लगाना चाहिए।
- नेचुरली वेंटीलेटेड ग्रीन हाउस में वायु आवागमन हेतु प्रयुक्त होने वाली जाली 40 मेश आकार की तथा पराबैंगनी अवरोधी होना चाहिए।
- धूप की सघनता को कम करने हेतु थर्मल अथवा सफेद रंग की 50 प्रतिशत वाली

छायादार जाली होना चाहिए।

- प्रवेश हेतु दो दरवाजों का प्रावधान होना चाहिए तथा दोनों दरवाजे 90 डिग्री के कोण पर होने चाहिए।
- स्कर्टवाल का प्रावधान निचले क्षेत्रों में ग्रीन हाउस के अंदर जल भराव से सुरक्षा प्रदान करता है।
- फिटिंग के दौरान केवल नट/बोल्ट का प्रयोग होना चाहिये। वेल्डिंग नहीं होना चाहिए। सभी नट/बोल्ट G.I. के होना अनिवार्य है।
- पॉली हाउस की छत से पानी नीचे लाने हेतु प्रयुक्त किये जाने वाला गटर 1 मि.मी. मोटाई का, 500 मि.मी. चौड़ा एवं बिना

अनुदान सहायता		
ग्रीन हाउस ढांचा क. पंखा तथा पैड प्रणाली	1650/- रुपये प्रति वर्ग मीटर (क्षेत्रफल 500 मीटर^2) 1465/- रुपये प्रति वर्ग मीटर (क्षेत्रफल 501 से 1008 मीटर) 1420/- रुपये प्रति वर्ग मीटर (क्षेत्रफल 1009 से 2080 मीटर^2) 1400/- रुपये प्रति वर्ग मीटर (क्षेत्रफल 2081 से 4000 मीटर^2)	प्रति लाभग्राही 4000 मीटर तक सीमित, लागत का 50 प्रतिशत
ख. प्राकृतिक वातायन प्रणाली		
1. ट्यूब्यूलर ढांचा	1060/- रुपये प्रति वर्ग मीटर (क्षेत्रफल 500 मीटर^2) 935/- रुपये प्रति वर्ग मीटर (क्षेत्रफल 501 से 1008 मीटर) 890/- रुपये प्रति वर्ग मीटर (क्षेत्रफल 1009 से 2080 मीटर) 844/- रुपये प्रति वर्ग मीटर (क्षेत्रफल 2081 से 4000 मीटर^2)	प्रति लाभग्राही 4000 मीटर तक सीमित, लागत का 50 प्रतिशत
2. लकड़ी का ढांचा	540/- रुपये प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभ हितग्राही 20 इकाइयाँ तक सीमित। लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक यूनिट 200 वर्ग मीटर से अधिक की न हो)
3. बाँस का ढांचा	450/- रुपये प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभ हितग्राही 20 इकाइयाँ तक सीमित। लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक यूनिट 200 वर्ग मीटर से अधिक की न हो)

संरचना के साथ-साथ पॉलीहाउस में उगाई गई उच्च मूल्य सब्जियों की बागान सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 140 रुपये प्रति वर्गमीटर एवं फूलों की बागान सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत प्रति वर्ग मीटर, झरबेरा एवं कार्नेशन में 610 रुपये प्रति वर्ग मीटर एवं गुलाब में 426 रुपये प्रति वर्ग मीटर अधिकतम 4000 वर्ग मीटर प्रति हितग्राही अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। ● **सत्यानन्द**

(संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण)

भूमि को सुफलाम् बनाने हेतु उद्यानिकी

आज हमारे देश में मध्यप्रदेश मॉडल चर्चित है क्योंकि उसमें किसी एकांकी विकास का फार्मूला न होकर समग्र, सतुलित और स्वयंपोषित विकास के समय सिद्ध सूत्र हैं। चार बार कृषि कर्मण अवार्ड जीतकर हमने देश के सर्वोच्च अन्नोत्पादक प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है, पशुपालन के क्षेत्र में हमने एक लंबी छलांग लगाई है। वर्तमान में देश में जहां दूध का प्रतिव्यक्ति, प्रतिदिन, औसत उत्पादन 337 ग्राम है वहीं मध्यप्रदेश में यही आंकड़ा 428 ग्राम है, अब उद्यानिकी पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। भूमि हमारा सबसे बड़ा संसाधन है जो प्रकृति से मिला है। कोई भी ताकत या तरीका अपने भूमि-क्षेत्र में वृद्धि नहीं कर सकता जबकि भूमि-क्षरण, जलाभाव और जलवायु-परिवर्तन के संकट के कारण जमीन की उर्वराशक्ति दिन-प्रति-दिन कम होने की समस्या खड़ी हो गई है। इस समस्या का एकमात्र समाधान है वैज्ञानिक और युक्तियुक्त भू-उपयोग। मध्यप्रदेश में भू-उपयोग की यही नीति अपनाई गई है जिसके तहत भूमि की गुणवत्ता के अनुसार कृषि, वानिकी और उद्यानिकी विषयक कार्यक्रम चलाकर समग्र तथा स्वपोषित विकास सुनिश्चित किया जा रहा है।

धर्म और संस्कृति से जुड़ी उद्यानिकी का हमारे देश में सनातन काल से विशेष महत्व रहा है। तुलसी-कृत रामचरितमानस में स्थान-स्थान पर पुष्पित, पल्लवित फलोद्यानों का उल्लेख मिलता है :

सुमन वाटिका बाग वन
विपुल विहंग निवास,
फूलत फलत सुपल्लवित
सोहत पुर चहुं वास।।

महाराज जनक की पुष्पवाटिका जहां जगत्पिता श्रीराम ने जगज्जननी सीताजी का प्रथम दर्शन किया था, चित्रकूट में वनवासी राम की पर्णकुटी, रावण की अशोकवाटिका जहां सीताजी को रखा गया था तथा सुग्रीव का मधुवन उन अनेक स्थलों में हैं जिनमें उद्यानिकी अपने चरम को पहुंची थी क्योंकि वहां फल, फूल, औषधि, तथा कन्द, मूल आदि का सांगोपांग वर्णन है। आदिदेव महादेव को वर रूप में प्राप्त करने के लिये पार्वतीजी ने जो अनवरत तपस्या की उस अवधि में उन्होंने साग, फल, फूल आदि पर ही जीवन-निर्वाह किया था।

संवत सहस मूल-फल खाये,
साग खाय सत बरस गंवाये।

सनातन काल से चली आ रही उद्यानिकी कृषि की पूरक शाखा है जो कन्द, मूल, फल, फूल, सब्जियां, मशरूम, औषधीय पौधे आदि उगाने की कला, विज्ञान, व्यवसाय

और प्रौद्योगिकी से ताल्लुक रखती है। प्रौद्योगिकी इसलिये जरूरी है ताकि जल्दी खराब होने वाले फल-फूल, साग-सब्जी जैसे उद्यानिकी उत्पादों को एक ओर तो ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जा सके और दूसरी ओर उनके प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाई जा सके। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम में भारत माता को सुफलाम् कहकर उसकी एक विशेषता सुन्दर मीठे फलदायी के रूप में रेखांकित की है।

उद्यानिकी की एक खासियत यह है कि इसे छोटे किसान अपनी परम्परागत खेती के साथ-साथ कर सकते हैं। उद्यानिकी के जानकारों का कहना है कि एक हेक्टेयर जमीन में कंद-मूल-फल-फूल आदि के सही उत्पादन से साल भर में 860 मानव दिवस तक का रोजगार सृजन हो सकता है जबकि उतनी ही भूमि में कृषि से 143 वार्षिक मानव दिवस का ही रोजगार मिलता है। अंगूर, अनार, पपीता, अमरूद, चीकू, नारंगी, पाइनएपिल, जरबेरा, गुलाब आदि तो हजार से ढाई हजार मानव दिवस तक का रोजगार दे सकते हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री तो स्वयं एक व्यवहारिक किसान हैं जो अपने खेत में

किसानों के लिये उद्यानिकी और कृषि के व्यवहारिक मॉडल प्रस्तुत करते रहते हैं।

मध्यप्रदेश में उद्यानिकी गतिविधि के प्रचार-प्रसार के लिये एक व्यापक और विस्तृत कार्यक्रम लागू किया गया है जो भूमि, जलवायु, सिंचाई, जैविक खाद, स्वदेशी कृमिनाशक आदि की उपलब्धता पर आधारित है। इसमें अलग-अलग प्रकार की उद्यानिकी के लिये अलग-अलग अनुदान देने का प्रावधान है, राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा केन्द्र की भी योजनायें हैं। प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, परामर्श आदि के माध्यम से किसानों को उद्यानिकी विषयक ज्ञान और जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। ड्रिप इरीगेशन या सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर विशेष बल दिया जा रहा है क्योंकि सभी फल-फूलदार पौधों को अंधाधुन्ध पानी देना हानिकारक हो सकता है। इस पद्धति के उपयोग से जल के साथ-साथ खाद, कीटनाशक, मजदूरी आदि की बचत के अलावा खेत समतल करने और बंजर भूमि को भी उपयोगी बनाने में निर्णायक सफलता मिलती है। उद्यानिकी मंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा ने अभी हाल ही में एक परिगोष्ठी में इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की थी।

● घनश्याम सक्सेना
(लेखक वरिष्ठ स्तम्भकार हैं)

उद्यानिकी खेती से लाभान्वित किसान

मैं पुष्कल वर्मा पुत्र स्व. श्री रामदेव वर्मा ग्राम रीठी जिला रीवा का निवासी होकर कृषक हूं। मैंने उद्यान विभाग की अमरूद फलोद्यान योजनान्तर्गत 400 पौधों का रोपण गत वर्षों में किया है पौधों के बीच खाली जमीन में सागभाजी की खेती करता हूं। अमरूद बगीचे से प्रति वर्ष 1 लाख से 1,25,000/- रुपये तथा सागभाजी की खेती से 70 से 80 हजार प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है। कृषि फसलों की अपेक्षा उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से कई गुना अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। पूर्व में कृषि खाद्यान्न फसलों की खेती करता था। लाभ कम होने के कारण अब उद्यानिकी खेती करना प्रारम्भ किया। जिले के अन्य कृषकों को भी सुझाव देना चाहूंगा कि उद्यानिकी फसलों जैसे पौधरोपण तथा सागभाजी और फूलों की खेती प्रारम्भ करें।

अदरक की खेती से अनूठा लाभ

मध्यप्रदेश ने कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के संकल्प और प्रयासों के परिणाम धरातल पर दिखने लगे हैं। लगातार चार बार कृषि कर्मण अवार्ड पाने वाले मध्यप्रदेश के किसानों ने अब उद्यानिकी के क्षेत्र में कीर्तिमान रचना शुरू कर दिया है। प्रगति के परिणामों की इसी श्रृंखला में शामिल है सिवनी जिले के छोटे से गाँव चिडीया पलारी के किसान ओम ठाकुर। कृषि स्नातक, 40 वर्षीय ओम ठाकुर ने अदरक की खेती की और उत्पादन से सबको चौंका दिया। आधुनिक तरीके से अदरक की खेती कर ओम ठाकुर आज प्रति एकड़ 6-7 लाख रुपये का लाभ कमा रहे हैं। यह अपने आप में अनूठी प्रगति है। इसके अलावा उन्होंने लाख उत्पादन की तकनीक, वन औषधियों के परिचय और केतकी की प्रजाति के अनुसंधान एवं विकास पर कार्य किए हैं। ओम ठाकुर की इस उपलब्धि को लेकर हमने मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए बातचीत की। प्रस्तुत हैं उनसे हुई चर्चा के कुछ अंश-

प्रश्न : आपको अदरक की खेती करने की प्रेरणा कैसे मिली?

उत्तर : मैं हमेशा समय आधारित कृषि को लाभ का आधार मानकर कृषि करने की सोचता हूँ। मैंने कृषि अर्थशास्त्र की मांग पूर्ति के अनुसार आगामी 2-3 वर्षों तक अदरक के दाम बहुत नीचे नहीं आ पायेंगे इसको आधार मानकर अदरक की खेती को चुना, परन्तु पारम्परिक कृषि पद्धति और अदरक की प्रजाति दोनों को ही नये तरीके से समझने की आवश्यकता थी। मैं महाराष्ट्र के कुछ प्रगतिशील कृषकों से मिला एवं उनकी कृषि पद्धति तथा प्रजाति का अध्ययन किया। इसके बाद बेहतर प्रणाली से अदरक लगाया। विशेषता यह रही कि वर्ष 2013-14 की लगातार बारिश के बावजूद भी अच्छा उत्पादन हुआ।

प्रश्न : आप अदरक की खेती कब से कर रहे हैं?

उत्तर : मैं विगत 2 वर्षों से अदरक की खेती कर रहा हूँ।

प्रश्न : आप अदरक की खेती कितने एकड़ में कर रहे हैं?

उत्तर : मैं अदरक की खेती 10 एकड़ में कर रहा हूँ।

प्रश्न : अदरक के अलावा आप कौन-कौन सी फसलों की खेती कर रहे हैं?

उत्तर : अदरक के अंतर्गत लाख की खेती कर रहा हूँ। जैविक चावल की खेती के अलावा कृषि वानिकी के साथ-साथ अन्य फसलों की भी खेती कर रहा हूँ।

प्रश्न : एक एकड़ जमीन में कितना अदरक का उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं?

उत्तर : मैंने प्रति एकड़ 13 टन का औसत उत्पादन प्राप्त किया। जिसे एक करोड़ 17 लाख में विक्रय किया। पिछले साल अधिक वर्षा होने पर भी 13 टन का उत्पादन मिला।

प्रश्न : अदरक की खेती के लिए किस प्रकार की जमीन होनी चाहिए?

उत्तर : अदरक की खेती के लिए हल्की रेतीली, दोमट उचित जल निकास वाली जमीन की आवश्यकता होती है।

प्रश्न : किस किस्म की अदरक का प्रयोग आपने खेती के लिए किया?

उत्तर : अदरक की माहीम किस्म का प्रयोग खेती के लिए किया।

प्रश्न : एक एकड़ में अदरक लगाने की लागत मूल्य क्या आती है?

उत्तर : एक एकड़ जमीन में अदरक की खेती के लिए लागत लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये आता है जो कि 2 लाख रुपये तक हो सकता है जिसमें 1 टन बीज की कीमत 1 लाख 10 हजार रुपये, खाद एवं उर्वरक की कीमत 60 हजार रुपये तथा अन्य प्रबंधन का खर्च लगभग 30 हजार रुपये के आस-पास आता है।

प्रश्न : प्रति एकड़ अदरक की खेती में आपने क्या लाभ कमाया?

उत्तर : प्रति एकड़ अदरक की खेती में मुझे 6-7 लाख रुपये प्राप्त हुआ।

प्रश्न : अदरक की मार्केटिंग स्थानीय स्तर पर करते थे या बाहर?

उत्तर : अदरक की मार्केटिंग स्थानीय एवं बाहर दोनों ही स्तर पर करते थे।

प्रश्न : मार्केटिंग में क्या किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है?

उत्तर : पिछले वर्षों में अदरक की अधिक मांग होने और आपूर्ति कम होने की वजह से स्थानीय एवं बाहर बेचने में परेशानी नहीं हुई। परन्तु फिर भी अधिक उत्पादन लेने की स्थिति में बड़ी कंपनियों एवं मंडियों में बात करने की आवश्यकता है।

प्रश्न : अदरक की खेती में किस प्रकार की कठिनाई आती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है?

उत्तर : अदरक की खेती में रोग एवं कीट का प्रकोप अधिक होता है अतः बीज उपचार तथा समय-समय पर सही फफूंद नाशक व कीट नाशक डालने पर अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाता है।

प्रश्न : प्रदेश के छोटे कृषकों को अदरक की खेती लाभकारी कैसे बने इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?

उत्तर : छोटे-छोटे कृषक अपने घर के पीछे की जगह में सही किस्म का चुनाव कर सही जल निकास वाली क्यारियाँ बनाकर 15 मई से लेकर 30 जून तक अदरक को लगा देंगे तो अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

● प्रस्तुति : रीमा राय

मध्यप्रदेश में उद्यानिकी और वानिकी योजनाएँ

धरती को सुफलाम् बनाने और उद्यानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा वृहद स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में भूमि, जलवायु, सिंचाई, जैविक खाद तथा प्राकृतिक कृषि को लेकर समग्र रूप से कार्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में उद्यानिकी के प्रसार के लिए अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं किंतु इनमें विशेष रूप से प्रमुख हैं फल-पौधरोपण योजना, सब्जी क्षेत्र-विस्तार योजना, मसाला क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, कृषक प्रशिक्षण-सह-भ्रमण, मेला, प्रदर्शनी तथा प्रचार-प्रसार आदि। फल-पौध रोपण योजना में कृषकों को आम, अमरूद, संतरा, मौसंबी, सीताफल, बेर, चीकू, अंगूर एवं टिशूकल्चर पद्धति से उत्पादित अनार, स्ट्राबेरी, केला, संकरबीज से उत्पादित मुनगा तथा पपीता और अच्छे बीज से उत्पादित नींबू के लिये अनुदान दिया जाता है। सब्जी-क्षेत्र में बीजवाली फसल जैसे टमाटर, बैंगन और कंदवाली फसल जैसे आलू, घुइयां आदि पर अलग-अलग अनुदान की व्यवस्था है। मसाला क्षेत्र में भी इसी प्रकार के अनुदान हैं। उद्यानिकी-फसलों के संरक्षण, ड्रिप सिंचाई तथा औषधीय एवं सुगंधित फसलों के विस्तार को भी प्रोत्साहित किया जाता है। इसके तहत आंवला, अश्वगंधा, बेल, कोलियस, गुडमार, कालमेघ, सफेद मूसली, सर्पगंधा, शतावर, तुलसी आदि आते हैं। प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा देने की योजनायें हैं। पान की खेती तो अति लाभप्रद व्यवसाय है। इसे पान उत्पादक बीस जिलों में प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रस्तुत है मध्यप्रदेश में उद्यानिकी के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विस्तृत विवरण :-

उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित विकासात्मक गतिविधियाँ

राज्य पोषित योजनायें

1. फल पौध रोपण योजना

प्रदेश की भूमि, जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर यह योजना प्रदेश में संचालित है। योजना में कृषकों को आम अमरूद, संतरा, मौसंबी, सीताफल, बेर, चीकू एवं अंगूर, टिशु कल्चर पद्धति से उत्पादित अनार, स्ट्राबेरी एवं केला, संकर बीज से उत्पादित मुनगा एवं पपीता तथा बीज से उत्पादित नींबू के उच्च एवं अति उच्च संघनता के ड्रिप सहित फल पौध रोपण पर कृषकों को इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षों में देय है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक कृषक को 0.25 से 4.00 हेक्टेयर तक फल पौध रोपण पर अनुदान देय है।

2. सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत उन्नत/संकर सब्जी फसल के लिये इकाई लागत का 50 प्रतिशत बीज वाली फसलों हेतु अधिकतम 10000/- रुपये प्रति हेक्टेयर तथा सब्जी की कंदवाली फसल जैसे-आलू, अरबी के लिये अधिकतम रुपये 30,000/- प्रति हेक्टेयर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टर से लेकर 2 हेक्टर तक का लाभ दिया जा सकता है।

3. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना

प्रदेश में मसाला क्षेत्र विस्तार योजना अंतर्गत कृषकों के लिये उन्नत/संकर मसाला फसल के क्षेत्र विस्तार के लिये इकाई लागत का 50 प्रतिशत, बीज वाली फसल हेतु अधिकतम रुपये 10000/- प्रति हेक्टर तथा जड़ एवं कंद/प्रकंद वाली फसलों जैसे-हल्दी, अदरक, लहसुन के लिये अधिकतम रुपये 50000/- प्रति हेक्टयर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टर से लेकर 2 हेक्टर तक का लाभ दिया जा सकता है।

4. कृषक प्रशिक्षण सह-भ्रमण-कार्यक्रम

कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराने के लिए कृषकों को राज्य के अन्दर तथा राज्य के बाहर भ्रमण कराकर प्रशिक्षित कराया जाता है।

क्र.	नाम घटक	वित्तीय मापदण्ड
1.	राज्य के अन्दर कृषक प्रशिक्षण-सह-भ्रमण	रु. 1000/- प्रति कृषक प्रति दिवस (अधिकतम 7 दिवस)
2.	राज्य के बाहर कृषक प्रशिक्षण-सह-भ्रमण	रु. 1500/- प्रति कृषक प्रति दिवस
3.	राज्य के बाहर प्रभावन (Exposure) दौरा नवीन तकनीक अवलोकन हेतु (नवीन घटक)	रु. 1500/- प्रति कृषक प्रति दिवस

5. प्रदर्शनी मेला तथा प्रचार-प्रसार

योजनान्तर्गत विभागीय योजनाओं एवं फल, फूल, सब्जी तथा मसाला वाली फसलों की तकनीक की जानकारी कृषकों तक पहुँचाने के लिए जिला तथा ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शनी अथवा सेमिनार आयोजित कर योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

ड्रिप सिंचाई सहित उच्च सघनता के प्रजातिवार फलपौध रोपण हेतु प्रति हेक्टेयर वर्षवार अनुदान विवरण

(राशि रुपये में)

क्र.	नाम फल प्रजाति	पौध अंतराल (मी.) कतार से कतार x पौध से पौध	MIDH की लागत प्रति हेक्टेयर	अनुदान का प्रतिशत	प्रथम वर्ष (रोपण वर्ष) 75% पौधे जीवित होने पर	वर्षवार अनुदान द्वितीय वर्ष 90% पौधे जीवित होने पर	तृतीय वर्ष 100% पौधे जीवित होने पर	योग
बहुवर्षीय								
1.	आम	5x5	1,50,000	40%	36,000	12,000	12,000	60,000
2.	अमरूद	6x3	1,50,000		36,000	12,000	12,000	60,000
3.	संतरा	4x5	1,50,000		36,000	12,000	12,000	60,000
4.	अनार (टिशूकल्चर)	5x3	1,50,000		36,000	12,000	12,000	60,000
5.	नींबू	4x4.5	1,50,000		36,000	12,000	12,000	60,000
6.	मौसंबी	4x5	1,50,000		36,000	12,000	12,000	60,000
7.	चीकू	5x5	1,50,000		36,000	12,000	12,000	60,000
8.	मुनगा	3x6	1,50,000		36,000	12,000	12,000	60,000
9.	सीताफल	6x3	1,50,000		36,000	12,000	12,000	60,000
10.	बेर (बडेड)	5x5	1,50,000		36,000	12,000	12,000	60,000

ड्रिप सिंचाई सहित उच्च सघनता के प्रजातिवार फल पौध रोपण हेतु प्रति हेक्टेयर वर्षवार अनुदान विवरण

(राशि रुपये में)

क्र.	नाम फल प्रजाति	पौध अंतराल (मी.) कतार से कतार x पौध से पौध	MIDH की लागत प्रति हेक्टेयर	अनुदान का प्रतिशत	प्रथम वर्ष (रोपण वर्ष) 75% पौधे जीवित होने पर	वर्षवार अनुदान द्वितीय वर्ष 90% पौधे जीवित होने पर	तृतीय वर्ष 100% पौधे जीवित होने पर	योग
बहुवर्षीय								
1.	आम	2.5x2.5	2,00,000	40%	48,000	16,000	16,000	80,000
2.	अमरूद	1x2	2,00,000		48,000	16,000	16,000	80,000
3.	संतरा	4x4.5	2,00,000		48,000	16,000	16,000	80,000
4.	अनार (टिश्यूकल्चर)	4x3	2,00,000		48,000	16,000	16,000	80,000
5.	नींबू	3x3	2,00,000		48,000	16,000	16,000	80,000
6.	मौसंबी	4x4.5	2,00,000		48,000	16,000	16,000	80,000
7.	चीकू	4x4	2,00,000		48,000	16,000	16,000	80,000
8.	मुनगा	4x4	2,00,000		48,000	16,000	16,000	80,000
9.	सीताफल	3x3	2,00,000		48,000	16,000	16,000	80,000
10.	बेर (बडेड)	3x3	2,00,000		48,000	16,000	16,000	80,000
अन्य फल								
11.	अंगूर (बहुवर्षीय)	1.8x1.8	4,00,000	40%	96,000	32,000	32,000	1,60,000
12.	स्ट्राबेरी (एक वर्षीय)	0.6x0.25	2,80,000		1,12,000	0	0	1,12,000
13.	केला (टीसी)(द्विवर्षीय)	1.5x1.5	3,00,000		90,000	30,000	0	1,20,000
14.	पपीता (द्विवर्षीय)	1.5x1.5	2,00,000		60,000	20,000	0	80,000

6. व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना

योजनान्तर्गत ग्रीन हाउस, शेडनेट, लो-टनल एवं प्लास्टिक मल्चिंग, पक्षी, ओला रोधी जाली तथा पॉली हाउस, शेडनेट हाउस में उगाई गई सब्जियों एवं फूलों पर इकाई लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन की गाइड लाइन में निर्धारित घटकवार अनुदान देय है।

7. उद्यानिकी के विकास के लिए यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना

जो कृषक आधुनिक यंत्रों का उपयोग उद्यानिकी फसलों में करना चाहते हैं, उन्हें ऐसे यंत्रों पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम निम्नानुसार अनुदान देय है :-

क्र.	उद्यानिकी मशीनरी	अधिकतम अनुदान (राशि रुपये में)
1.	पोटेटो प्लांटर/डिगर	30000.00
2.	गार्लिक/ओनिओन, प्लांटर/डिगर	30000.00
3.	ट्रेक्टर माउण्टेड ऐगेब्लास्ट स्प्रेयर	75000.00
4.	पावर ऑपरेटेड प्रूनिंग मशीन	20000.00
5.	फागिंग मशीन	10000.00
6.	मल्च लेईंग मशीन	30000.00
7.	पावर टिलर	75000.00
8.	पावर वीडर	50000.00
9.	ट्रेक्टर विथ रोटावेटर (अधिकतम 20 H.P. तक)	150000.00
10.	ओनियन/गार्लिक मार्कर	500.00
11.	पोस्ट होल्ड डिगर	50000.00
12.	ट्री प्रूनर	45000.00
13.	प्लांट हेज ट्रिमर	35000.00
14.	मिस्ट ब्लोअर	30000.00
15.	पावर स्प्रे पंप	25000.00

8. औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना

योजना के तहत कृषकों को स्वेच्छा से क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल के क्षेत्र विस्तार हेतु फसलवार 20 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है। इस योजना में प्रत्येक कृषक को 0.25 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक लाभ देने का प्रावधान है। फसलवार अनुदान विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	फसल का नाम	लागत मानदण्ड प्रति हे. (रुपयों में)	अनुदान पात्रता (प्रतिशत में)	अनुदान राशि (रुपये में)
1.	आंवला	65000	20%	13000
2.	अश्वगंधा	25000	20%	5000
3.	बेल	40000	50%	20000
4.	कोलियस	43000	20%	8600
5.	गुडमार	25000	20%	5000
6.	कालमेघ	25000	20%	5000
7.	सफेद मूसली	312500	20%	62500
8.	सर्पगंधा	62500	50%	31250
9.	शतावर	62500	20%	12500
10.	तुलसी	30000	20%	6000

9. बाड़ी (किचन गार्डन) योजना :-

राज्य शासन की प्राथमिकता के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु तथा सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस योजना के अंतर्गत उनकी बाड़ी के लिए स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर प्रति हितग्राही को रु. 75/- के सब्जी बीजों के पैकेट निःशुल्क वितरित किये जाते हैं।

10. मौसम आधारित फसल बीमा योजना

राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (NCIP) की गाइड लाइन के अनुसार प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2013-14 से किया जा रहा है।

बीमा के लिए चयनित फसलें-

खरीफ :- संतरा, केला, पपीता, प्याज, मिर्च, बैंगन

रबी :- टमाटर, बैंगन, प्याज, फूलगोभी, पत्तागोभी, हरी मटर, धनिया, लहसुन एवं आम।

टर्मशीट में निर्धारित मापदण्ड

कम वर्षा, अधिक वर्षा, बेमौसम वर्षा, कीट अनुकूल मौसम वायुगति, कम तापमान एवं अधिक तापमान के आंकड़ों में विचलन आने पर स्थानीय कृषकों को क्लेम देय होता है।

कृषक अंश

प्रीमियम अंश को 6 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। शेष प्रीमियम राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा बराबर-बराबर देय होगा।

1. अधिक तामपान का प्रभाव।
2. बीमारी अनुकूल मौसम तथा कीट अनुकूल मौसम।
3. बेमौसम बारिश, अधिक बारिश, कम वर्षा, लगातार सूखे की स्थिति में।
4. वायु गति।
5. ओला वृष्टि।

11. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की प्रोत्साहन योजना

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने के लिए "मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विशेष सहायता" उपलब्ध कराने का प्रावधान स्वीकृत किया गया है जिससे इस क्षेत्र के उद्यमी प्रदेश में उत्पादित खाद्यान्न को प्रदेश में ही प्रसंस्करण कर कृषकों को उनके उत्पादन का समुचित मूल्य दिला सकेंगे। इससे नवीन निवेश के साथ-साथ प्रदेश में रोजगार के अवसर भी निर्मित होंगे।

केन्द्र पोषित योजनाएं

1. एकीकृत उद्यानिकी विकास मिशन

क्र.	नाम योजना	संक्षिप्त विवरण एवं शर्तें	अधिकतम अनुदान सहायता (रुपये में)
1.	**मॉडल नर्सरी (बड़ी) की स्थापना**		
	अ. शासकीय क्षेत्र	4 हे. के लिये 2 लाख पौध प्रति 4 हेक्टेयर	शत प्रतिशत अनुदान रु. 25 लाख प्रति हेक्टेयर
	ब. निजी क्षेत्र	4 हे. के लिये 2 लाख पौध प्रति 4 हेक्टेयर	रु. 10 लाख प्रति हेक्टेयर के लिये
2.	**मॉडल नर्सरी (छोटी) की स्थापना**		
	अ. शासकीय क्षेत्र	1 हे. के लिये 25000 हजार	रु. 15 लाख प्रति हेक्टेयर
	ब. निजी क्षेत्र	फल पौध प्रति हेक्टेयर	रु. 7.50 लाख प्रति हेक्टेयर के लिये
3.	**सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम**		
	अ. शासकीय क्षेत्र	–	शत प्रतिशत अनुदान अधिकतम रु. 35000/- प्रति हेक्टेयर
	ब. निजी क्षेत्र	–	लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 12250 रु. प्रति हेक्टेयर
4.	**बीज अधोसंरचना का विकास**	ग्रीन हाउस के साथ-साथ अन्य अधोसंरचना का विकास	
	अ. शासकीय क्षेत्र	परियोजना प्रस्ताव के आधार पर	शत प्रतिशत का अनुदान
	ब. निजी क्षेत्र	परियोजना प्रस्ताव के आधार पर	प्रस्ताव का 50 प्रतिशत अनुदान सहायता
5.	**नये फलोद्यानों की स्थापना**		
	सामान्य अंतर पर-	न्यूनतम 1/4 हेक्टेयर एवं अधिकतम 4 हेक्टेयर	लागत का 40 प्रतिशत अनुदान
	(संतरा, आम, अमरूद)	1.00 लाख रु. प्रति हेक्टेयर	3 वर्षों तक अनुदान सहायता देय द्वितीय वर्ष
	1. समेकित पैकेज ड्रिप के साथ	रु. 60000 प्रति हेक्टेयर तीन किश्तों में	75 प्रतिशत तथा तृतीय वर्ष 90
	2. गैर समेकित पैकेज	60, 20, 20 प्रतिशत	प्रतिशत पौध जीवितता पर
	ब. केला (टी.सी.)	केला फसल पर दो वर्ष में अनुदान	लागत का 40 प्रतिशत अनुदान
	1. समेकित पैकेज ड्रिप के साथ	लागत-3 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर	लागत का 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 1.20 लाख प्रति हेक्टेयर
	2. गैर समेकित पैकेज	लागत 1.25 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर	लागत का 40 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रु. 0.50 लाख प्रति हेक्टेयर
	पपीता		
	1. समेकित पैकेज ड्रिप के साथ	2 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर	लागत का 40 प्रतिशत अनुदान
	2. गैर समेकित पैकेज	60000 रुपये प्रति हेक्टेयर	

	अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग (आम, अमरूद, अनार के लिए)		
	1. समेकित पैकेज ड्रिप के साथ	2 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर	लागत का 40 प्रतिशत अनुदान
	2. गैर समेकित पैकेज	1.25 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर	
	हाई डेंसिटी प्लांटिंग (आम, अमरूद, अनार के लिए)		
	1. समेकित पैकेज ड्रिप के साथ	1.50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर	लागत का 40 प्रतिशत अनुदान
	2. गैर समेकित पैकेज	1.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर	
6.	**पुष्प विकास**		
	अ. कट फ्लावर	न्यूनतम क्षेत्रफल 1/4 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक। अनुदान सहायता 40 प्रतिशत केवल लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए एवं अन्य वर्ग के कृषकों को 25 प्रतिशत प्रति हेक्टेयर	रु. 40000 प्रति हेक्टेयर
	ब. बल्ब		रु. 60000 प्रति हेक्टेयर
	स. लूज फ्लावर		रु. 16000 प्रति हेक्टेयर
7.	**मसाला विकास**		
	अ. मिर्च	न्यूनतम 1/4 हेक्टेयर से अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति हितग्राही	रु. 12000 प्रति हेक्टेयर या वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत (जो भी कम हो)
	ब. धनिया		
8.	**पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार**		
	अ.आम	2 हेक्टेयर की सीमा तक 25-30 वर्ष पुराने बगीचे होना चाहिये।	रु. 20000/- प्रति हेक्टेयर
	ब. संतरा	12 वर्ष पुराने बगीचे होने चाहिये।	रु. 20000/- प्रति हेक्टेयर
9.	**जलस्त्रोतों का निर्माण (व्यक्तिगत)**	–	रु. 75000/- प्रति लागत तक
10.	**आईएनएम/आईपीएम**	क्षेत्र न्यूनतम 1/4 हेक्टेयर/अधिकतम 4 हेक्टेयर फलन के समय	रु. 1200/- प्रति हेक्टेयर
11.	**वर्मी कम्पोस्ट यूनिट**	एक कृषक को अधिकतम 50 प्रतिशत	रु. 50000/- प्रति यूनिट
12.	**मानव संसाधन विकास**		
	अ. कृषकों का प्रशिक्षण-सह-भ्रमण (राज्य के भीतर)	3 दिन	रु. 3000/- प्रति कृषक
13.	**फसलोत्तर प्रबंधन**		
	अ. पैक हाउस का निर्माण	4 लाख इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान	50 प्रतिशत अथवा रुपये 2 लाख (जो भी कम हो)
14.	**मधुमक्खी पालन**	200 छतों के निर्माण के लिये लागत का 40 प्रतिशत	40 प्रतिशत या 8000 प्रति कोलोनी बक्से सहित
15.	**प्याज भण्डार गृह**	प्याज को सुरक्षित रखने हेतु 25 एमटी भंडारण क्षमता तक	कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 87500/-
16.	**संरक्षित खेती**	1650/- रुपए प्रति वर्ग मीटर (क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर)	प्रति लाभग्राही 4000 वर्ग मीटर तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
	1. ग्रीन हाउस ढांचा	1465/- रुपए प्रति वर्ग मीटर (क्षेत्रफल 501 से 1008 वर्ग मीटर)	
	क. पंखा तथा पैड प्रणाली	1420/- रुपए प्रति वर्ग मीटर (क्षेत्रफल 1009 से 2080 वर्ग मीटर)	

	1400/- रुपए प्रति वर्ग मीटर (क्षेत्रफल 2081 से 4000 वर्ग मीटर)	
ख. प्राकृतिक वातायन प्रणाली		
1. टयूब्यूलर ढांचा	1060/- रुपए प्रति वर्ग मीटर (क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर) 935/- रुपए प्रति वर्ग मीटर (क्षेत्रफल 501 से 1008 वर्ग मीटर) 890/- रुपए प्रति वर्ग मीटर (क्षेत्रफल 1009 से 2080 वर्ग मीटर) 844/- रुपए प्रति वर्ग मीटर (क्षेत्रफल 2081 से 4000 वर्ग मीटर)	प्रति लाभग्राही 4000 वर्ग मीटर तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
2. लकड़ी का ढांचा	540/- रुपये प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 20 इकाइयों तक सीमित। लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक यूनिट 200 वर्ग मीटर से अधिक की न हो।)
3. बांस का ढांचा	450/- रुपये प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 20 इकाईयों तक सीमित। लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक यूनिट 200 वर्ग मीटर से अधिक की न हो।)
ग. जाली गृह		
1. टयूब्यूलर ढांचा	710/- रुपये प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 4000 वर्ग मीटर तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
2. लकड़ी का ढांचा	492/- रुपये प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 20 इकाइयों तक सीमित। लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक यूनिट 200 वर्ग मीटर से अधिक की न हो।)
3. बांस का ढांचा	360/- रुपये प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 20 इकाइयों तक सीमित। लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक यूनिट 200 वर्ग मीटर से अधिक की न हो।)
4. पक्षी-रोधी/वृष्टि-रोधी जाली	35/- रुपये प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 5000 वर्ग मीटर तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
घ. प्लास्टिक टनल	60/- रुपये प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 1000 वर्ग मीटर तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
ङ. पॉली हाउस में उगाई गई उच्च मूल्य सब्जियों की बागान सामग्री की लागत	140/-रुपये प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
च. पॉली हाउस में उगाये गये फूलों की बागान सामग्री की लागत झरबेरा एवं कार्नेशन गुलाब	 610 रुपये प्रति वर्ग मीटर 426 रुपये प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 4000 वर्ग मीटर तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
1. मल्चिंग	32000/- हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिये)	लागत का 50 प्रतिशत अनुदान

2. प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत केन्द्र परिवर्तित माइक्रोइरीगेशन (Per Drop More Crop) योजना

- योजना का उद्देश्य कम पानी में ज्यादा से ज्यादा सिंचित क्षेत्र तथा उत्पादन एवं उत्पादकीय गुणवत्ता को बढ़ाना।
- यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू। उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत चयनित जिलों एवं फसलों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- योजनान्तर्गत कृषकों को यह स्वतंत्रता है कि वह राज्य माइक्रोइरीगेशन समिति द्वारा पंजीकृत सिस्टम निर्माता कंपनियों से सीधे अपनी इच्छानुसार सिस्टम का मोलभाव कर क्रय कर सकते हैं। योजना में प्रत्येक हितग्राही को कम से कम 0.2 हेक्टेयर तथा अधिकतम 5 हेक्टेयर तक का लाभ दिया जा सकता है।

सफल गाथा - उद्यानिकी

पान की खेती ने बनाया लखपति

मैं दिनेश चौरसिया ग्राम महसांव विकासखण्ड रीवा जिला रीवा मध्यप्रदेश का निवासी हूँ। मैं पान बरेज उत्पादक कृषक हूँ। दो वर्ष पूर्व बांस एवं लकड़ी के अभाव से मेरा पान बरेज बंद होने के कगार पर आ गया था। इसी बीच उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क हुआ, उन्होंने बांस किटरिया की जगह ग्रीन नेट लगाने की सलाह दी। मध्यप्रदेश शासन उद्यान विभाग के अन्तर्गत पान बरेज निर्माण के लिए अनुदान 30000 /- रुपये प्रति 500 वर्ग फिट के लिए 2 वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ था। अनुदान सहायता मिलने से पान की व्यावसायिक खेती करने में विभागीय तकनीक अनुसार काफी सुधार हुआ। उत्पादन में वृद्धि हुई। 1,00,000/- से 1.25 लाख रुपये तक प्रति वर्ष आय का साधन निर्मित हुआ। जिससे मेरी पारिवारिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। कृषक भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि कम से कम रकबे में अन्य कोई फसल इतना लाभ नहीं दे सकती। मेरी यह सलाह है कि पान की खेती से अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है।

सफल गाथा - उद्यानिकी

उद्यानिकी फसलों से समृद्धि

मैं कृषक केशोराव, विट्ठलराव ग्राम एनखेड़ा, विकास खण्ड मुलताई का निवासी हूँ। कृषि भूमि का रकबा 1.892 हेक्टेयर है। सिंचाई स्रोत ट्यूबवेल है। वर्ष 2015-16 के पूर्व उद्यानिकी फसलों की उन्नत खेती से जुड़ी बारीकियों से अनभिज्ञ था। उद्यान विभाग के सम्पर्क में आने से खेती की उन्नत तरीके से मिट्टी परीक्षण, भूमि उपचार, बीज उपचार, फसलों में आवश्यकता अनुसार खाद उर्वरक का उपयोग ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। वर्ष 2015-16 में सब्जी क्षेत्र विस्तार के लिए पत्तागोभी रकबा 0.500 हेक्टेयर हेतु रुपये 6160/- का अनुदान सामग्री रूप में प्राप्त हुआ। 140 क्विंटल फसल उत्पादन से 35,000/- रुपये का लाभ अर्जित हुआ। भविष्य में सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर सिंचाई संयंत्र स्थापित करने की योजना है। मैं उद्यानिकी विभाग के आवश्यक मार्गदर्शन तथा सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता हूँ।

सफल गाथा - उद्यानिकी

फूलों की खेती से समृद्धि की बयार

मैं रमाकांत गौतम कुछ वर्षों से लगातार खराब मौसम, अति वर्षा तथा ओला पड़ने के कारण हमारी फसलें नष्ट होती गईं एवं लगातार नुकसान होता गया। हम खेती से पूरी तरह निराश हो गये थे तब रीवा में उद्यानिकी विभाग ने संरक्षित खेती की सलाह दी। विभाग द्वारा पॉली हाउस संरचना के निर्माण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

विभाग के सहयोग से मैंने वर्ष 2013 में तीन हजार वर्ग मी. (3000 वर्ग मी.) पॉली हाउस का निर्माण करवाया और जरबेरा पुष्प की खेती करवाई। संरक्षित खेती के लिए विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमें प्रशिक्षण दिया गया और उन स्थानों का भ्रमण कराया गया जहां इस पद्धति से खेती की जा रही थी। जनवरी 2013 में मैंने जरबेरा पुष्प की खेती की शुरुआत की। विगत ढाई वर्षों में लगभग 16,00,000/- रुपये के पुष्प बाजार में विक्रय किये। अब मैं कह सकता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से मौसम में अनिश्चितता आयी है। अतः हम किसानों के लिए संरक्षित खेती (पॉली हाउस) अत्यंत लाभकारी और वरदान स्वरूप है।

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

3.1 उच्च तकनीक से पान की खेती

उच्च तकनीक से पान की खेती के लिए 500 वर्गमीटर में परियोजना के प्रावधान अनुसार पान बरेजा बनाने तथा पान की खेती करने के लिए इकाई लागत राशि रुपये 1.20 लाख पर 35 प्रतिशत अनुदान राशि रु. 0.42 लाख देय है। योजना में पान उत्पादक 20 जिले यथा जबलपुर, कटनी, मण्डला, नरसिंहपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, देवास, सतना, इन्दौर, खण्डवा, मन्दसौर, नीमच, रतलाम, ग्वालियर, रायसेन एवं होशंगाबाद जिले सम्मिलित हैं।

3.2 ग्रीष्मकालीन तरबूज, खरबूज एवं कद्दूवर्गीय संकर बीज वितरण

परियोजना अंतर्गत 0.200 हेक्टेयर में तरबूज, खरबूज एवं कद्दूवर्गीय फसलों की खेती के लिए उद्यानिकी मिशन नार्म्स अनुसार निर्धारित इकाई लागत राशि रुपये 10 हजार पर 35 प्रतिशत अनुदान अधिकतम राशि रुपये 3500/- देय है। परियोजना अंतर्गत जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, मण्डला, डिण्डौरी, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, उज्जैन, खण्डवा, खरगोन, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, पन्ना, सतना एवं शहडोल जिले सम्मिलित हैं।

सफल गाथा - उद्यानिकी

पॉली हाउस में सुरक्षित टमाटर की खेती

मैं रावेन्द्र गौतम हूं तथा मेरी उम्र 74 वर्ष है और मैं अपने युवा काल से ही परंपरागत खेती (गेहूं, धान, दलहन) की फसलें ही लेता आ रहा था। पहले मेरी खेती की समझ भी सीमित थी। पिछले एक दशक में मैंने मौसम में बड़ा परिवर्तन देखा। कुछ वर्षों से लगातार खराब मौसम, अति वर्षा आदि के कारण हमारी फसलें नष्ट होती गईं। लगातार नुकसान होता गया। मैंने अपने क्षेत्र में कुछ किसानों को नई प्रकार की खेती को अपनाते हुए देखा। खेती से पूरी तरह निराश होने के बाद, उन किसानों की सलाह से मैंने मध्यप्रदेश शासन के रीवा उद्यानिकी विभाग में संपर्क किया। विभाग ने संरक्षित खेती की सलाह दी तथा पॉली हाउस संरचना के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। विभाग के सहयोग से मैंने 2014 में चार हजार वर्ग मी. (4000 वर्ग मी.) पॉली हाउस का निर्माण करवाया तथा टमाटर की खेती करवाई। विभागीय सलाह से संरक्षित खेती के लिए विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमें प्रशिक्षण दिया गया और उन स्थानों का भ्रमण कराया गया जहां इस पद्धति से खेती की जा रही थी। मई 2014 में मैंने टमाटर की खेती की शुरुआत की। विगत एक वर्ष में लगभग 4,50,000/- रुपये का टमाटर बाजार में विक्रय किया। इस तरह बदली परिस्थिति में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि गत वर्षों से मौसम में आई अनिश्चितता के कारण हम किसानों के लिए संरक्षित खेती (पॉली हाउस) अत्यंत लाभकारी है।

3.3 अनार क्षेत्र विस्तार

परियोजना अंतर्गत अनार टिश्यू कल्चर पौध रोपण मय ड्रिप इरीगेशन हेतु प्रति हेक्टेयर निर्धारित इकाई लागत राशि रुपये 1.50 लाख पर 50 प्रतिशत अनुदान राशि रुपये 0.75 लाख का प्रावधान है। अनुदान 3 वर्षों में 60:20:20 के मान से प्रथम वर्ष क्रमशः राशि रुपये 45 हजार एवं अनुरक्षण पर द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 15-15 हजार 80% पौधे जीवित होने पर देय है। प्रति कृषक 0.500 हेक्टेयर से अधिकतम 5.000 हेक्टेयर तक पौध रोपण की पात्रता है। योजना समस्त जिलों में लागू है।

3.4 प्याज भण्डार गृह

परियोजना अंतर्गत एन.एच.आर.डी.एफ. नासिक की ड्राईंग-डिजाईन अनुसार 25 एवं 50 मेट्रिक टन के प्याज भंडार गृह निर्माण का प्रावधान है। उद्यानिकी मिशन नार्म्स अनुसार 25 MT. हेतु निर्धारित इकाई लागत राशि रु. 1.75 लाख पर 50% अनुदान अधिकतम राशि रु. 0.875 लाख एवं 50 MT. हेतु निर्धारित इकाई लागत राशि रु. 3.50 लाख 50% अनुदान अधिकतम राशि रु. 1.75 लाख देय है। परियोजना समस्त जिलों में लागू है।

3.5 बड़े शहरों के आसपास सब्जी क्षेत्र विस्तार

परियोजनान्तर्गत संकर सब्जी उत्पादन हेतु उद्यानिकी मिशन नार्म्स अनुसार प्रति हेक्टर निर्धारित इकाई लागत राशि रु. 0.50 लाख पर 50% अनुदान अधिकतम राशि रु. 0.25 लाख का प्रावधान है। परियोजना अंतर्गत संभाग मुख्यालय के जिले यथा भोपाल, उज्जैन, इन्दौर, रीवा, ग्वालियर, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर एवं शहडोल सम्मिलित है। प्रति कृषक 0.500 हेक्टेयर से अधिकतम 2.000 हेक्टेयर तक सब्जी उज्पादन पर अनुदान सहायता देय है।

3.6 पॉली हाउस में उच्च गुणवत्ता युक्त सब्जी, जरबेरा एवं गुलाब की खेती हेतु अनुदान

परियोजना अंतर्गत पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस में सब्जी एवं पुष्प की खेती के लिए उद्यानिकी मिशन नार्म्स अनुसार 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। परियोजना में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं नेशनल वेजीटेबल इनीशिएटिव फॉर अर्बन क्लस्टर हितग्राहियों को प्रथम बार पुष्प एवं सब्जी की खेती हेतु 500 वर्ग मीटर से अधिकतम 4000 वर्ग मीटर तक अनुदान सहायता का प्रावधान है।

3.7 प्लास्टिक क्रेट वितरण -

परम्परागत सब्जी उत्पादन कृषकों को सब्जी फसलों के व्यवस्थित परिवहन हेतु रियायती दर पर प्रति कृषक 10 से अधिकतम 30 प्लास्टिक क्रेट्स पर 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपये 150/- अनुदान का प्रावधान है। परियोजना समस्त जिलों में लागू है।

3.8 माइक्रो इरीगेशन -

परियोजना अंतर्गत ड्रिप इरीगेशन एवं स्प्रिंकलर संयंत्र की स्थापना हेतु NMSA-OFWM नार्म्स अनुसार योजनान्तर्गत प्रावधान है। योजना

में प्रदेश के 29 जिले यथा भोपाल, रायसेन, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, बुरहानपुर, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, जबलपुर, मण्डला, सिवनी, कटनी, बालाघाट, सतना, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, ग्वालियर, शिवपुरी, भिण्ड, मुरैना, दतिया, गुना, छतरपुर, पन्ना, होशंगाबाद एवं शहडोल जिले सम्मिलित हैं। योजना में उद्यानिकी फसलवार लागत निर्धारित लागत अनुसार 0.500 हेक्टेयर से अधिकतम 5.000 हेक्टेयर में संयंत्र प्रतिष्ठापन पर अनुदान सहायता का प्रावधान है।

3.9 उद्यानिकी रोपणी एवं पार्क का सुदृढ़ीकरण

परियोजना अंतर्गत प्रमुख उद्यान भोपाल अंतर्गत गुलाब उद्यान, पार्क क्रमांक 1, 4 एवं 5 तथा प्रमुख उद्यान पचमढ़ी अंतर्गत मुख्य उद्यान, पाण्डव उद्यान व राजेन्द्र गिरि उद्यान तथा शासकीय प्रक्षेत्र नूराबाद जिला मुरैना सम्मिलित है। इनके विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य परियोजना अंतर्गत किया जा रहा है।

3.10 रोपणी उन्नयन (प्लग टाईप सीडलिंग फॉर ग्रोविंग वेजीटेबल)

परियोजना अंतर्गत शासकीय माडल रोपणी कानासैया जिला भोपाल, शासकीय प्रक्षेत्र नूराबाद जिला मुरैना एवं शासकीय फल बाग रोपणी इन्दौर में उच्च गुणवत्ता युक्त सब्जी एवं पुष्प पौध उत्पादन हेतु सीडलिंग उत्पादन इकाई की स्थापना एवं पौध उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।

4. मध्यप्रदेश राज्य औषधीय पौध मिशन

1. यह मिशन भारत शासन के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के द्वारा जारी मूल दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संचालित किया जा रहा है।

2. योजना के घटक

मॉडल बड़ी और छोटी रोपणियों की स्थापना (शासकीय तथा निजी क्षेत्र)

औषधीय पौधों की खेती पर अनुदान।

कृषकों को प्रशिक्षण-सह-भ्रमण (राज्य के अंदर तथा बाहर)

राज्यस्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन।

● **प्रस्तुति : जयमाला सिंह**

सफल गाथा - उद्यानिकी

उद्यानिकी से आर्थिक विकास

मैं शम्भू प्रसाद तिवारी ग्राम मोहरमा 482 विकासखण्ड सिरमौर जिला रीवा का निवासी हूँ। मेरे पास 8 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर कृषि की फसलें गेहूं, चना, अलसी, अरहर एवं धान की खेती करता था। इन फसलों की खेती से मेरे परिवार का यथायोग्य जीवन-यापन नहीं कर पा रहा था। मैं सोचता रहा कि कौन सी फसलों को अपनाऊँ जिससे आय बढ़े और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक खर्च कर सकूं। उद्यानिकी अधिकारियों से मिला। उनकी सलाह से 4 एकड़ के रकबे में टमाटर, 2 एकड़ में अरबी तथा खरीफ की प्याज एवं 1 एकड़ में आलू, भिण्डी, बैंगन के साथ फसल चक्रों को अपनाकर अन्य उद्यानिकी फसल जैसे धनिया, मिर्च की खेती की जिससे 2 से 3 लाख की आय प्राप्त हुई। वर्ष 2014-15 में खरीफ प्याज 2.500 एकड़ में लगाई थी जिसका 250 क्विंटल उत्पादन हुआ था। इससे खर्च काटने के बाद 1,00,000/- रुपये की आमदनी हुई थी। बीज की व्यवस्था उद्यानिकी विभाग द्वारा हुई थी। अनुदान भी शासन के मापदंड के अनुसार मुझे प्राप्त हुआ है। सहायक संचालक उद्यान रीवा तथा वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी तथा ग्रामीण अमले के द्वारा मुझे समय-समय पर तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

अन्त में, मैं यही कहना चाहूंगा कि हर कृषक अपने कुल रकबे में 3 से 4 एकड़ में उद्यानिकी की फसलों को अपना ले तो वह अपना आर्थिक विकास कर सकता है। इससे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें खुशहाल कर सकता है।

खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सकारात्मक पहल

अब खेती में भी रणनीति का उपयोग दिखने लगा है। चाहे बुआई से लेकर कटाई तक के मैनेजमेंट में सोची समझी रणनीति से लाभ का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। हर किसान की यही मंशा होती है कि वो कम लागत में अच्छी पैदावार ले। अब प्रदेश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कम लागत के बावजूद सोची समझी रणनीति के तहत खेती कर अच्छी पैदावार ले रहे हैं। इसमें वे जैविक व आधुनिक खेती की तकनीकों को अपनाने के साथ-साथ आधुनिक कृषि यंत्रों का भी उपयोग कर रहे हैं। प्रदेश के अन्य किसानों को भी इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है ताकि वे भी अपने खेतों से कम लागत में अच्छी पैदावार ले सकें। प्राकृतिक आपदा के बावजूद इन किसानों ने अच्छी पैदावार लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी परिणाम स्वरूप ये सफल भी रहे। खेती को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश्य को सफल बनाने में ये किसान प्रदेश के अन्य किसानों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं।

भोपाल जिले की बैरसिया तहसील के ग्राम पिपरिया कदम निवासी विजय लोधी ने ताइवान पपीते की खेती को चुना। वे ताइवान पपीते की रेड लेडी किस्म को उगा रहे हैं। उन्हें इस किस्म के पपीते की खेती से प्रति हेक्टेयर लाखों रुपये कमाने की संभावनाएं दिखीं, जिन्हें वे आज सही साबित कर रहे हैं। उन्होंने आखिर ताइवान पपीता ही क्यों चुना। इस पर उन्होंने बताया कि ताइवान पपीता फसल अन्य फसल की तुलना में कम समय में ज्यादा लाभ देती है। यहीं नहीं, 8 से 10 महीने में फसल तोड़ने लायक तैयार हो जाती है, लेकिन मेरी फसल 6 महीने में ही तैयार हो गई है। इन पपीतों की खास बात यह भी है कि यह पूरी तरह पकने पर 15 दिनों तक खराब नहीं होते। इसलिए इन्हें दूसरे राज्यों में निर्यात करना आसान हो जाता है। बाजार में इसकी मांग है भी कि नहीं। इस पर श्री लोधी ने बताया कि इन पपीतों का आकार छोटा होने की वजह से बाजार में इसकी अच्छी मांग है। एक पौधा 40 से 100 किलोग्राम उपज देता है। इसलिए मुझे तो पपीते की खेती में लाभ ही लाभ दिखा। मैंने एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत 2.5 एकड़ में 2,500 पौधे लगाए हैं। अब मेरी फसल तैयार है। मैं अब इसे मार्केट में बेचने की तैयारी में लगा हूं। मैंने मल्चिंग और ड्रिप की सहायता से खेती की है।

भोपाल जिले के गोलखेड़ी गांव के रहने वाले कम्प्यूटर स्नातक श्याम सिंह कुशवाहा ने अपनी 12 एकड़ जमीन में कई प्रकार की खेती कर लाभ अर्जित किया। उन्होंने टुकड़ों-टुकड़ों में फसल लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया। श्री श्याम बताते हैं कि वे पहले अपने खेतों में पारम्परिक खेती कर चना सोयाबीन, बरसीम और कुछ सब्जियां ही उगा पाते थे। फिर उन्हें दो साल पहले आधुनिक तकनीक को अपनाकर खेती करने का विचार

हर किसान की यही मंशा होती है कि वो कम लागत में अच्छी पैदावार ले। अब प्रदेश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कम लागत के बावजूद सोची समझी रणनीति के तहत खेती कर अच्छी पैदावार लें रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के बावजूद इन किसानों ने अच्छी पैदावार लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी परिणाम स्वरूप यें सफल भी रहे। खेती को लाभ का धंधा बनाने के उददेष्य को ये किसान प्रदेश के अन्य किसानों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं।

आया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले 1 हेक्टेयर जमीन पर उद्यानिकी विभाग के सहयोग से अमरूद के 480 पौधों का रोपण कराया। अमरूद के पौधों के बीच प्याज, मटर आदि सब्जियां उगाईं। श्री कुशवाहा ने बताया कि उद्यानिकी विभाग से अनुदान प्राप्त कर 1 एकड़ में पॉली हाउस का निर्माण कराया। बाद में मल्चिंग का उपयोग कर ताइवान पपीते भी लगवाए। उन्होंने विपरीत मौसम के बावजूद 1.5 महीने में मैथी से करीब 1.6 लाख की आय अर्जित की। उसके बाद पालक, धनिया और प्याज की पौध तैयार की। इसी तरह इसमें टमाटर और खीरा भी उगाया। उन्होंने बताया कि मल्चिंग और ड्रिप से जहां पानी की बचत होती है वहीं खरपतवार भी कम उगते हैं। इससे उत्पादन और उत्पादकता के साथ फसल की गुणवत्ता भी बढ़ती है। उन्होंने खेती की नई तकनीक व आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग कर, केंचुए की खाद का इस्तमाल किया।

भोपाल के ही बेरखेड़ी गांव के सोदान सिंह कुशवाहा को जोखिम लेने की आदत है। उनकी जोखिम लेने की आदत ने ही उन्हें एक नई पहचान दी है। वे कहते हैं कि आज से 11 साल पहले पुष्प, सब्जी व अन्न की खेती को पॉलीहाउस में बदलने के लिए उन्होंने बैंक से ऋण लेने का जोखिम उठाया। हालांकि शुरू में उनके परिवार वालों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन उन्होंने जोखिम लिया और परिणाम आपके सामने है। श्री सोदान सिंह बताते हैं कि उन्होंने और उनके परिवार ने मिलकर अनाज और सब्जी के अलावा 5 एकड़ में पॉली हाउस में जरबेरा की खेती तथा 30 एकड़ में विभिन्न प्रकार के फूल जैसे- गेंदा, सेवंती, ग्लेडियोलस, गुलाब, गोल्डन स्टिक की खेती की। उन्होंने बताया कि वे हर साल पॉली हाउस में प्रति एकड़ 8 से 9 लाख तथा खुले खेत में पुष्प उद्यानिकी से प्रति एकड़ 50 हजार से 2 लाख कमा रहे हैं। आज उनके फूलों की मांग भोपाल के साथ-साथ मुम्बई, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर आदि शहरों में अच्छी खासी है। वे यहां अपने फूल नियमित रूप से भेजते हैं।

भोपाल जिले के ही एक और किसान विशाल मीणा भी फूलों की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। विशाल मीणा ने बताया कि फूलों की खेती में अच्छा खासा मुनाफा है और वे अब फूलों की खेती ही करेंगे। उन्होंने पहले आलू की खेती की, लेकिन उस वर्ष सिर्फ लागत ही निकली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर उद्यानिकी विभाग की मिशन योजना से लाभ लेकर ग्लेडियोलस की खेती एक एकड़ में की। इसके लिए उन्हें विभाग की ओर से उचित मार्गदर्शन भी मिला। उन्होंने बताया कि ग्लेडियोलस की खेती में 75 दिन में ही फूल खिलना चालू हो गए थे। फिर यह सिलसिला 90 दिनों तक चला। इंटरनेट की सहायता से मुम्बई में बेचने पर उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे इसकी जानकारी मिली। मुम्बई में प्रति फूल 4 से 7 रुपये मिले। इसलिए उन्होंने एक हेक्टेयर फसल के फूल बेचकर 1.9 लाख का मुनाफा कमाया। कुछ महीनों बाद कंद भी तैयार हो गये थे, जिन्हें प्रति कंद 1.5 से 2.5 रुपये के हिसाब से बेचा और 40,000 से 50,000 रुपये और कमाए। इस तरह 1 हेक्टेयर से लगभग 3.5 लाख का शुद्ध मुनाफा कमाया।

● हरीश बाबू
(लेखक पत्रकार व स्तम्भकार हैं)

मनरेगा नंदन फलोद्यान से
लखपति बन रहे किसान

मनरेगा की नंदन फलोद्यान उपयोजना अंतर्गत फलदार पौधे लगाकर किसान सालाना लाख रुपये से अधिक की आमदनी कर लखपति बन रहे हैं। इस उपयोजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आमदनी में बढ़ोत्तरी लाना था। इसमें किसान की जमीन पर फलदार पौधे जैसे आम, आंवला, संतरा, नींबू, कटहल आदि पौधे रोपित किये गये। फलदार पौधे लगाने के पीछे शासन की मंशा एक ओर तो किसान को उद्यानिकी से जोड़कर अतिरिक्त आमदनी बढ़ाना था वहीं दूसरी ओर पौधों से उत्पन्न होने वाले फलों का उपयोग करने पर परिवार को कुपोषण जैसी समस्या से निपटना भी था। इस मकसद में सरकार काफी हद तक कामयाब भी रही। योजना प्रारंभ से मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में हितग्राहियों का चयन कर उनकी जमीन पर फल देने वाले पौधे लगाये गये।

मनरेगा की नंदन फलोद्यान उपयोजना अंतर्गत फलदार पौधे लगाकर किसान सालाना लाख रुपये से अधिक की आमदनी कर लखपति बन रहे हैं। वर्ष 2007 से यह योजना उन गरीब किसानों के लिए लागू की गई थी जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है और सिंचाई का साधन है। ऐसे किसानों की जमीन पर मनरेगा योजना से फलदार पौधे लगाये गये। इस योजना की खासियत यही है कि फलदार पौधे हितग्राही की जमीन पर निःशुल्क रोपित किये गये एवं यदि हितग्राही द्वारा उनका रखरखाव किया जाता है तो उस हितग्राही को रखरखाव की मजदूरी भी मनरेगा से दी गयी। इसी कारण इस योजना को कहा जाता है "आम के आम और गुठलियों के दाम"।

इस उपयोजना का मूल मकसद ग्रामीण परिवारों की आमदनी में बढ़ोत्तरी लाना था। इसमें किसान की जमीन पर फलदार पौधे जैसे आम, आंवला, संतरा, नींबू, कटहल आदि पौधे रोपित किये गये। फलदार पौधे लगाने के पीछे शासन की मंशा एक ओर तो किसान को उद्यानिकी से जोड़कर अतिरिक्त आमदनी बढ़ाना था वहीं दूसरी ओर पौधों से उत्पन्न होने वाले फलों का उपयोग करने पर परिवार को कुपोषण जैसी समस्या से निपटना भी था। इस मकसद में सरकार काफी हद तक कामयाब भी रही। योजना प्रारंभ से मध्यप्रदेश में बड़ी संख्या में हितग्राहियों का चयन कर उनकी जमीन पर फल देने वाले पौधे लगाये गये। इसके लिए तीन से पांच साल तक का प्रोजेक्ट बनाया गया। जिसमें फलदार पौधों को अधिकृत नर्सरियों से खरीदकर किसान की जमीन पर रोपना, उसकी निंदाई, गुड़ाई, जरूरत पड़ने पर कीटनाशक दवाओं का उपयोग आदि की व्यवस्था इसमें की गई। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में आज जिन किसानों की जमीन पर फलदार पौधे लगाये गये थे वे आज फलों की उपज बेचकर लाखों रुपये की आमदनी कर रहे हैं जिससे उनकी आर्थिक हालत में सुधार आया है। अन्य ऐसे किसान अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उन्नत खेती के लिए संसाधनों का उपयोग कर पा रहे हैं। इस प्रकार के किसानों को अपनी खेती के साथ इंटर क्राप (अंतर कृषि) अर्थात् खेत में फसल के साथ पौधरोपण करने से न केवल ली जा रही फसल ही मिली बल्कि फलदार पौधे एक निश्चित आमदनी का जरिया भी बने जिससे किसानों को अब फसल के अलावा अतिरिक्त आमदनी होने लगी जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक दशा सुधरी है। अब आर्थिक रूप से सशक्त होने की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई भी बेहतर होने लगी है और जीवन स्तर में सुधार आया है तथा भौतिक संसाधनों के भी मालिक बन गये हैं।

● **नवीन शर्मा**
(लेखक स्तम्भकार हैं)

मनरेगा ने बदला जयपाल का जीवन

फसल की बर्बादी से हुए कर्जे से टूट चुके जयपाल सिंह ने यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी सुख उनके दरवाजे पर दस्तक देगा। खण्डवा जिले की पुनासा जनपद की ग्राम पंचायत नेतनगांव के निवासी जयपाल सिंह कभी मुफलिसी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आज सम्पन्नता का जीवनयापन कर रहे हैं। जयपाल महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत रेशम उपयोजना को उनकी सफलताओं की कुंजी बताते हैं।

अपने पुराने दिनों को याद करते हुये जयपाल सिंह बताते हैं कि उनके पास 2 एकड़ भूमि थी जिस पर वह परंपरागत खेती करते हुए कपास और मिर्च की फसल का उत्पादन करते थे। सिंचाई का अभाव और कई बार

जयपाल महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत रेशम उपयोजना को उनकी सफलताओं की कुंजी बताते हैं। मनरेगा योजना अंतर्गत कृषकों को रेशम उत्पादन हेतु 1.82 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसके माध्यम से किसानों को पांच वर्ष के लिये शहतूत के पौधे दिये जाते हैं एवं इनके रोपण, निंदाई, गुड़ाई व पौधों हेतु दवा की व्यवस्था की जाती है। जयपाल सिंह को भी यह सभी लाभ मनरेगा योजना अंतर्गत प्राप्त हुए। आर्थिक तंगी से छुटकारा पा चुके जयपाल मनरेगा की वजह से परिवार के सामाजिक-आर्थिक उन्नति के सपने बुन रहे हैं।

मौसम की मार के चलते उनकी फसल खराब हो चुकी थी। वह यह भी बताते हैं कि यदि फसल अच्छी भी आ जाती थी तो मुनाफा बहुत कम हो पाता था। हालात यह हो गये थे कि जयपाल 4 लाख रुपये के कर्ज में डूब चुके थे।

जयपाल सिंह ने बताया कि परेशानियों के चलते वह खालवा अपने रिश्तेदार के यहां कुछ आर्थिक मदद मांगने गये हुये थे वहां उन्हें पता चला कि उनके रिश्तेदार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना की रेशम उपयोजना अंतर्गत रेशम उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया हुआ है जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। जयपाल ने भी रेशम उत्पादन करने का फैसला किया और मनरेगा अंतर्गत रेशम उपयोजना का लाभ लेने के लिये जनपद पंचायत में संपर्क किया गया। वर्ष 2013-14 में जयपाल सिंह का प्रकरण तैयार कर उन्हें मनरेगा योजना अंतर्गत रेशम उपयोजना का लाभ दिया गया।

मनरेगा योजना से उन्हें 5600 शहतूत के पौधों के रोपण का लाभ दिया गया एवं रेशम विकास विभाग द्वारा उन्हें रेशम कीट पालन के लिये शेड तैयार कराया गया। उल्लेखनीय है कि एक वर्ष में छः बार कटने वाला मलबरी (शहतूत) का पौधा रेशम के ककून (इल्ली) पालन के लिए होता है ककून (इल्ली) से एक बार में कृषक को 25 से 30 हजार रुपये की आय हो जाती है। मनरेगा योजना अंतर्गत कृषकों को रेशम उत्पादन हेतु 1.82 लाख रुपये की स्वीकृत प्रदान की जाती है जिसके माध्यम से किसानों को पांच वर्ष के लिये शहतूत के पौधे दिये जाते हैं एवं इनके रोपण, निंदाई, गुड़ाई व पौधों हेतु दवा की व्यवस्था की जाती है। जयपाल सिंह को भी यह सभी लाभ मनरेगा योजना अंतर्गत प्राप्त हुए।

पहले वर्ष 1 एकड़ जमीन में किये गये शहतूत उत्पादन से ही जयपाल सिंह को 2 लाख रुपये का आर्थिक लाभ हुआ इससे उत्साहित होकर उन्होंने अगले वर्ष 2 एकड़ में शहतूत का पौधरोपण किया। शहतूत उत्पादन से जो आर्थिक लाभ हुआ उससे जयपाल सिंह ने उनका बैंक का पूरा कर्जा चुका दिया है साथ ही उन्होंने 2 एकड़ जमीन भी खरीद ली है। अब आर्थिक तंगी से छुटकारा पा चुके जयपाल मनरेगा की वजह से परिवार के सामाजिक-आर्थिक उन्नति के सपने बुन रहे हैं।

अभिषेक तिवारी
(मीडिया अधिकारी, खण्डवा)

चौपालों में खिलतीं विकास की कलियां

गांव में वृक्षों की छांव में जन कल्याण की चौपाल

प्राचीन काल में गांव प्रशासन की स्वायत्त इकाई थे। गांव के विकास तथा समस्याओं से संबंधित सभी निर्णय चौपालों में लिए जाते थे। महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर चौपालों में न्याय और ईमानदारी को दिखाने वाली श्रेष्ठ रचना है। चौपाल गांव में आमजन से संवाद का सबसे सशक्त माध्यम है। पन्ना के कलेक्टर श्री शिवनारायण सिंह चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेने का माध्यम इन चौपालों को बनाया है। अब तक आयोजित 62 चौपालों में कई हितग्राही मौके पर लाभान्वित हुए हैं। गांवों में वृक्षों की छांव में लगी चौपालों ने जिले में जन कल्याण की बयार चला दी है। इसने प्रशासन विशेषकर कलेक्टर श्री चौहान की विश्वसनीयता को जनमानस में स्थापित किया है।

पन्ना में कलेक्टर श्री चौहान हर सप्ताह बुधवार तथा शुक्रवार को अधिकारियों के साथ क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्र, निर्माण कार्यों तथा ग्रामीण क्षेत्र के कार्यालयों के निरीक्षण के बाद चौपाल सजती है। गांव के बगीचे अथवा तालाब के किनारे वृक्षों की छांव में चौपाल प्रारंभ होती है।

पन्ना के कलेक्टर श्री शिवनारायण सिंह चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं के क्रियान्वय का जायजा लेने का माध्यम इन चौपालों को बनाया है। अब तक आयोजित 62 चौपालों में कई हितग्राही मौके पर लाभान्वित हुए हैं। इसने प्रशासन विशेषकर कलेक्टर श्री चौहान की विश्वसनीयता को जनमानस में स्थापित किया है। हर चौपाल में 20 से 50 तक प्रकरण दर्ज कराके समय सीमा में अविवादित नामांतरण तथा बंटवारे के प्रकरण निराकृत होते हैं।

इसमें कलेक्टर आम जनता से सीधा और खुला संवाद करते हैं। जनसंवाद के माध्यम से नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरणों की जानकारी ली जाती है। हर चौपाल में 20 से 50 तक प्रकरण दर्ज कराके समय सीमा में अविवादित नामांतरण तथा बंटवारे के प्रकरण निराकृत होते हैं। कलेक्टर नामांतरण तथा बंटवारा में देरी करने वालों को दण्डित करने के साथ अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करते हैं। आवास हक प्रमाण पत्र वितरण, बीपीएल सूची सत्यापन के अलावा इन चौपालों में समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन तथा निःशक्त पेंशन के वितरण की समीक्षा की जाती है। इन चौपालों के पूर्व लगभग 16 हजार हितग्राही ऐसे थे जिन्हें नियमित रूप से पेंशन नहीं मिल रही थी। कई हितग्राहियों को दो माह से लेकर एक वर्ष तक की देरी से पेंशन मिली थी। लेकिन चौपालों में मानीटरिंग से नियमित पेंशन के हितग्राही अब कुछ सौ ही शेष बचे हैं। लगभग पांच हजार पेंशनधारियों के बैंक खाते इन चौपालों के माध्यम से ठीक कराए गए। हजारों वृद्ध तथा निराश्रितों को समय पर तथा नियमित पेंशन

मिलने की खुशी चौपालों ने दी।

चौपालों में उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न वितरण तथा खाद्यान्न सुरक्षा योजना से लाभान्वित हितग्राहियों का सत्यापन भी चौपालों में किया जा रहा है। इनके माध्यम से लगभग 7 हजार पात्र परिवार समग्र पोर्टल पर दर्ज किए गए। इन्हें खाद्यान्न पर्ची जारी कर खाद्यान्न तथा कैरोसिन वितरित किया जा रहा है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, बीपीएल तथा अन्य पात्र हितग्राही शामिल हैं। चौपालों में मिली शिकायतों के आधार पर 18 उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न वितरण की जांच करायी गयी। जांच में दोषी पाए जाने पर 4 सेल्समैनों पर एफआईआर दर्ज की गयी तथा 5 को पद से पृथक करने की कार्यवाही की गयी। चौपालों में आम जनता द्वारा की गयी मांग को ध्यान में रखकर तीन दुकानों के स्थान में परिवर्तन किया गया।

समग्र स्वच्छता अभियान से ग्रामीणों को जोड़ने तथा शौचालय निर्माण को गति देने में चौपालों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। कलेक्टर तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा चौपालों में आम जनता को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। हर चौपाल में सैकड़ों पात्र परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए पात्रता पर्ची प्रदान की जाती है। कई हितग्राहियों को चौपालों से ही शौचालय निर्माण की राशि प्राप्त हुयी।

चौपालों में आधार कार्ड पंजीयन तथा आधार कार्ड सीडिंग की भी समीक्षा की जाती है। गुन्नौर, अजयगढ़ तथा पवई विकासखण्ड की चौपालों में ग्रामीणों ने आधार कार्ड बनाने के लिए रुपये लेने की जानकारी दी। कलेक्टर ने एसडीएम के माध्यम से मामलों की जांच कराई। आधार कार्ड बनाने वाले तीन व्यक्तियों से अवैध रूप से वसूली राशि वापस करायी गयी। आधार कार्ड बनाने की दो मशीन जप्त की गयीं। गांव में जनपद पंचायतों द्वारा शिविर लगाकर निःशुल्क आधार कार्ड बनाए गए।

चौपालों में इंदिरा आवास योजना की रुकी हुई किश्तों का वितरण हुआ। कलेक्टर ने जनसंवाद के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना, आंगनवाड़ी केन्द्र से पोषण आहार के वितरण, मजदूरी भुगतान, पेयजल व्यवस्था, सूखा राहत राशि वितरण तथा खाद-बीज

ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से आयोजित चौपालों में शासन की उच्च प्राथमिकता की सभी योजनाओं की मौके पर वहीं समीक्षा की जाती है। इनमें लापरवाही पाए जाने पर मौके पर ही दंडित भी किया जाता है। गांव-गांव में हर सप्ताह आयोजित होने वाली चौपालों ने मौके पर हितग्राहियों को लाभान्वित किया। ग्राम स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आयी। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। चौपालों ने आम जनता के मन में सरकार और प्रशासन की जनकल्याण की भावना को स्थायी बनाया है।

वितरण की समीक्षा की। हर चौपाल में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना से कई पात्र परिवारों को लाभान्वित किया गया। इन चौपालों ने ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली तथा मैदानी कर्मचारियों की योजना क्रियान्वयन की दक्षता को भी प्रकट किया है। चौपालों का ऐसा असर है कि नामांतरण, बंटवारे में अब पटवारी चाय तक पीने से डरते हैं।

ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से आयोजित चौपालों में शासन की उच्च प्राथमिकता की सभी योजनाओं की मौके पर वहीं समीक्षा की जाती है। इनमें लापरवाही पाए जाने पर मौके पर ही दंडित भी किया जाता है। चौपालों में 23 पंचायत सचिवों, 7 पटवारियों, 6 उपयंत्रियों, 2 जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, 2 खाद्य निरीक्षकों, 5 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के विरुद्ध वेतनवृद्धि अवरुद्ध करने की कार्यवाही की गयी। कई रोजगार सहायकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन काटने की कार्यवाही की गयी। राजापुर तथा डडवरिया की चौपालों में सहकारी समिति के समिति प्रबंधक तस्वीर मोहम्मद द्वारा किसानों से वसूल 7 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया। दोषी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करके कार्यवाही की गयी।

गांव-गांव में हर सप्ताह आयोजित होने वाली चौपालों ने मौके पर हितग्राहियों को लाभान्वित किया। ग्राम स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आयी।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। चौपालों ने आम जनता के मन में सरकार और प्रशासन की जनकल्याण की भावना को स्थायी बनाया है। जो गरीब और लाचार अपनी व्यथा लेकर कलेक्ट्रेट अथवा तहसील नहीं जा सकता उसे भी अपनी बात कलेक्टर से कहने का अवसर चौपालों ने दिया। कई निराश्रित वृद्धों को चौपालों ने मध्यान्ह भोजन योजना से जोड़कर दो जून की रोटी का आसरा दिया। इन चौपालों ने कलेक्टर श्री चौहान की जनकल्याण को समर्पित अधिकारी की छवि को और लोकप्रियता दी है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह है कि जनसुनवाई में आने वाले आवेदक अपने गांव में चौपाल लगाने के लिए कलेक्टर से अनुरोध करते हैं।

● **उमेशचन्द्र तिवारी**

व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती को प्रोत्साहन योजना

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश
6वीं मंजिल, विंध्याचल भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
दूरभाष - 0755-2576960, ई-मेल : dishort@mp.nic.in

क्रमांक/उद्यान/एफ-2/14-15/5495 **भोपाल, दिनांक 24.01.2015**

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला..... (समस्त)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला..... (समस्त)
3. संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग..... (समस्त)
4. उप/सहायक संचालक उद्यान, जिला..... (समस्त)

विषय : व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती को प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश 2014.

1. **प्रस्तावना :** वर्तमान समय में औद्योगीकरण एवं शहरीकरण के कारण कृषि का रकबा सतत् रूप से कम होता जा रहा है। साथ ही पारिवारिक बंटवारे होने से कृषकों की निजी जोत सीमा भी घटती जा रही है। ऐसी स्थिति में कृषि जलवायु कारक जैसे तापमान, आर्द्रता एवं सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित कर कम रकबे में गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन देने वाली तकनीक " संरक्षित खेती" ही एक मात्र विकल्प है। संरक्षित खेती अन्तर्गत विशेष प्रकार के निर्मित ढांचे में गैर-मौसम में खेती कर उच्च मूल्य की गुणवत्ता युक्त पुष्प एवं सब्जियों का अधिक उत्पादन लेकर कृषक अधिक आमदनी प्राप्त कर सकेगा तथा गुणवत्तायुक्त पुष्प एवं सब्जियाँ, वर्ष भर उपभोक्ता को उपलब्ध हो सकेंगी।

इसके लिये कृषकों को आधुनिक उद्यानिकी की हाईटेक पद्धतियां जैसे ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक टनल, एंटी बर्डनेट, प्लास्टिक मल्चिंग, वॉक इन टनल आदि पर आधारित व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की खेती की ओर इस योजना के माध्यम से आकर्षित करना है।

2. उद्देश्य :-

1. कृषि को लाभकारी स्वरूप प्रदान करना।
2. कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदाय कर संरक्षित खेती (ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक टनल, एंटी बर्डनेट, प्लास्टिक माल्चिंग, वॉक इन टनल इत्यादि) की ओर आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहित करना।
3. नियंत्रित वातावरण में ताजी सब्जी एवं पुष्प की खेती कर, वर्ष भर बाजार में उपलब्धता बनाये रखना।
4. सब्जियों एवं पुष्पों की गुणवत्ता में सुधार लाना।
5. कम क्षेत्रफल से अधिक से अधिक उत्पादन लेना।
6. उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना।
7. युवा पीढ़ी में आधुनिक खेती के प्रति रुझान पैदा कर रोज़गार को बढ़ावा देना।
8. प्राकृतिक प्रकोप से फसल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

3. कार्यक्षेत्र :- मध्यप्रदेश के सभी जिले।

4. योजना का प्रारंभ :- इस योजना का क्रियान्वयन संशोधित स्वरूप में वित्तीय वर्ष 2014-15 से किया जाता है।

5. योजना का स्वरूप :- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत, मापदण्ड एवं बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (NCPAH) के द्वारा निर्धारित ड्राइंग, डिजाइन एवं गुणवत्ता के मापदण्ड के अनुसार ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस एवं प्लास्टिक टनल इत्यादि का निर्माण किया जावेगा तथा प्लास्टिक मल्चिंग फिल्म का प्रतिस्थापन कराया जायेगा एवं संरक्षित खेती हेतु पौध रोपण एवं आदान सामग्री तथा पक्षी रोधी/ओला रोधी जाली का उपयोग कराया जायेगा। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जब-जब इकाई दरों में परिवर्तन किया जावेगा, तदनुसार दरें स्वयमेव परिवर्तित हो जावेंगी।

योजनान्तर्गत निर्मित घटक, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक टनल, एंटी बर्डनेट, प्लास्टिक मल्चिंग, वॉक इन टनल आदि की इकाई लागत पर, कृषकों को विभाग द्वारा संचालित केन्द्र/राज्य योजनान्तर्गत प्रावधानित अनुदान 50 प्रतिशत की दर से देय होगा।

6. वित्तीय व्यवस्था तथा लक्ष्यों का निर्धारण :-

6.1 राज्य योजनान्तर्गत बजट प्रावधान जिला सेक्टर के बजट में वर्ष 2015-16 से रखा जावेगा। प्रत्येक जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान योजना अंतर्गत जिले की मांग के आकलन के पश्चात् जिला योजना समिति में वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान में प्रस्तावित राशि का राज्य योजना आयोग से अनुमोदन करावेंगे। केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना में लक्ष्यों का निर्धारण केन्द्र शासन से स्वीकृत होने के पश्चात् घटक में स्वीकृत बजट अंतिम होगा।

6.2 जिला योजना समिति द्वारा पारित राशि में राज्य योजना आयोग स्तर पर आयोजित बैठकों में चर्चा उपरांत यदि कम या अधिक की जाती है, तो वह राशि अंतिम रूप से मान्य की जाकर उसी के तहत आच्छादित होने वाला क्षेत्र भौतिक लक्ष्य कहलायेगा।

7.हितग्राही की अर्हता :-

7.1 कृषक का वयस्क एवं भूस्वामी होना आवश्यक है।

7.2 कृषक के पास निश्चित सिंचाई स्रोत एवं साधन उपलब्ध होना चाहिए।

7.3 कृषक के नाम का प्रस्ताव/अनुमोदन ग्राम सभा/जनपद/जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति से प्राप्त किया जावेगा।

7.4 कृषक को अपने हिस्से की अंश पूंजी की व्यवस्था स्वयं अथवा बैंक ऋण के माध्यम से करनी होगी। बैंक ऋण से स्वीकृत प्रकरणों को प्राथमिकता दी जायेगी।

7.5 योजनांतर्गत एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य योजना सीमा तक लाभ ले सकेंगे बशर्ते कि वे धारित भूमि के स्वामी हों एवं उनके पृथक-पृथक खसरा नम्बर संधारित हों।

7.6 योजना का लाभ कृषक उत्पादक संघ (FPO) चिन्हित क्लस्टर में ले सकेंगे।

7.7 योजनान्तर्गत एक हितग्राही एक से अधिक घटक का लाभ निर्धारित सीमा के तहत ले सकेगा।

7.8 हितग्राही द्वारा योजनान्तर्गत चयनित घटक का लाभ यदि N.H.M., R.K.V.Y., N.V.I., N.H.B. आदि में से किसी एक योजनान्तर्गत प्राप्त कर लिया है, तो उसे उसी घटक के तहत पुनः अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

7.9 योजनान्तर्गत संरक्षित खेती के घटकों का लाभ एक बार लेने के उपरांत 5 वर्ष तक उसी घटक में पुनः लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी।

8.हितग्राही की जिम्मेदारी :-

8.1 हितग्राही को योजना के प्रावधान एवं निर्धारित तकनीकी मापदण्ड अनुसार ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक टनल, एंटी बर्डनेट, प्लास्टिक मल्चिंग, वॉक इन टनल आदि का निर्माण करना होगा।

8.2 ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक टनल, एंटी बर्डनेट, प्लास्टिक मल्चिंग, वॉक इन टनल आदि का निरंतर अनुरक्षण करेगा एवं कार्यशील बनाये रखना होगा।

8.3 हितग्राही विभाग को फसल से जुड़ी समस्त जानकारी देने में सहयोग करेगा तथा अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के लिये विभागीय अधिकारियों को अनुमति देगा।

8.4 योजनान्तर्गत निर्मित ढांचे को हितग्राही न किसी को हस्तांतरित करेगा ना ही उसे विक्रय करेगा, बल्कि उसका उपयोग स्वयं ही करेगा तथा स्ट्रक्चर में सतत् रूप से संरक्षित खेती करने के लिए कृषक को आवेदन के साथ वचन पत्र देना होगा।

9.आदान व्यवस्था :-

9.1 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में परिवर्तन की स्थिति में अनुदान सहायता का स्वरूप एवं तकनीकी मापदण्ड राज्य स्तर से जिला स्तर को उपलब्ध कराये जायेंगे।

9.2 विभाग द्वारा संरक्षित खेती के घटकों का निर्माण करने वाली निर्माता कंपनियां/संस्थाएं/फेब्रिकेटर्स को सूचीबद्ध किया जावेगा, जिसमें NCPAH भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध निर्माता भी सम्मिलित होंगे। सूचीबद्ध कम्पनी/संस्था/फेब्रिकेटर की सूची विभागीय वेबसाइट (**www.horticulture.mp.gov.in**) पर अपलोड कर दी जावेगी। जिसमें से बाजार दरों में मोल-भाव कर भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत से कम दर पर कार्य कराने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।

9.3 योजनान्तर्गत विभाग का कम्पनी के साथ, कम्पनी का हितग्राही के साथ सेवा शर्तों का अनुबंध होगा। जिसमें कम्पनी एवं कृषक की जवाबदेही नियत होगी। किसी भी एक पक्ष द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अनुशासनिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

10. हितग्राही चयन :-

10.1 वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु शासकीय अधिकृत कियोस्क के माध्यम से एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर कृषकों का ऑनलाइन पंजीयन कराया जावेगा।

10.2 हितग्राहियों का चयन ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था में सूचीबद्ध कृषकों में से वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा। लक्ष्य अनुसार पंजीयन स्वीकृति की सूचना विभाग द्वारा हितग्राही को लिखित में दी जावेगी, जिस पर कृषक को 21 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें वह संरक्षित खेती के किस घटक का लाभ लेना चाहता है, का स्पष्ट उल्लेख करेगा। निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कृषक का पंजीयन स्वतः निरस्त हो जावेगा एवं सूची क्रम में आगामी कृषक को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया जावेगा।

10.3 ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक टनल, एंटी बर्डनेट, प्लास्टिक मल्चिंग, वॉक इन टनल आदि के निर्माण के लिये चयनित कृषक को आर्थिक सहायता की पात्रता का आशय पत्र जिला स्तर पर उप/सहायक संचालक उद्यान द्वारा जारी किया जावेगा जिसमें तकनीकी मापदण्ड, कार्य पूर्ण करने की अवधि एवं आर्थिक सहायता राशि का स्पष्ट उल्लेख होगा।

11. मूल्यांकन :-

11.1 हितग्राही के खेत पर निर्मित संरक्षित खेती के घटक ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक टनल, एंटी बर्डनेट, प्लास्टिक मल्चिंग, वॉक इन टनल इत्यादि का शत-प्रतिशत मूल्यांकन निम्नानुसार गठित मूल्यांकन समिति से कराया जावेगा:-

(i) संयुक्त संचालक उद्यान (संभागीय)	अध्यक्ष
(ii) उप/सहायक संचालक उद्यान	सदस्य
(iii) जिले के कृषि विज्ञान केन्द्र के विशेषज्ञ	सदस्य
(iv) जिला उद्यानिकी कार्यालय द्वारा नामित अधिकारी, यदि कोई हो तो	सदस्य

11.2 कृषक अंशदान :- कृषक द्वारा, कृषक अंश राशि 50% का भुगतान, कम्पनी के चयन उपरान्त कम्पनी से अनुबंध करने के बाद बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा R.T.G.S. के माध्यम से कम्पनी को करेगा तथा बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति अथवा R.T.G.S. द्वारा राशि भुगतान संबंधी प्रमाण जिला कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

11.3.1 अनुदान राशि का भुगतान :- जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान/सदस्य सचिव, जिला उद्यानिकी मिशन समिति, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सरपंच/जनप्रतिनिधि के दल द्वारा चयनित हितग्राही के खेत पर स्ट्रक्चर निर्माण हेतु कम्पनी द्वारा उपलब्ध सामग्री का प्रथम भौतिक सत्यापन निर्धारित परिपत्र में किया जायेगा। पूर्ण सामग्री उपलब्ध होने पर प्रथम किश्त 40% अनुदान राशि स्वीकृत कर भुगतान किया जायेगा।

अधोसंरचना का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् हितग्राही एवं निर्माता संस्था द्वारा संतुष्टि प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने पर क्रमांक 11.1 अनुसार गठित समिति द्वारा द्वितीय भौतिक सत्यापन कर निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट एवं अनुशंसा करने पर द्वितीय किश्त 50% राशि स्वीकृत कर भुगतान किया जायेगा। शेष 10% राशि का भुगतान कृषक से शिकायत नहीं मिलने पर 6 माह के पश्चात् किया जावेगा।

11.3.2 ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक टनल, एंटी बर्डनेट, प्लास्टिक मल्चिंग, वॉक इन टनल आदि में संरक्षित खेती हेतु आदान सामग्री जैसे-पौध रोपण सामग्री, खाद एवं उर्वरक तथा पौध संरक्षण दवाओं का क्रय कृषक स्वयं करेगा एवं प्लास्टिक मल्चिंग फिल्म एवं पक्षीरोधी/ओला रोधी जाली के क्रय में गुणवत्ता के सदंर्भ में NCPAH भारत सरकार के मापदण्ड सुनिश्चित करेगा। इस कार्य का भौतिक सत्यापन 11.3.1 अनुसार गठित दल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने के उपरांत घटकवार/फसलवार निर्धारित अनुदान राशि स्वीकृत कर कृषक के बैंक खाते में जमा की जा सकेगी।

- भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में स्ट्रक्चर तथा उपयोग की जाने वाली सामग्री के फोटोग्राफ्स एवं वीडियो फिल्म अनिवार्य रूप से संलग्न किया जायेगा।
- उपरोक्तानुसार अनुदान राशि का भुगतान हितग्राही कृषक के बैंक खाते में R.T.G.S. के माध्यम से किया जायेगा।

12. थर्ड पार्टी द्वारा कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण :- हितग्राही के यहां निर्मित ढांचे में निर्धारित मानकता की सामग्री का उपयोग किया गया है अथवा नहीं की गुणवत्ता का परीक्षण सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं सक्षम संस्था से कम से कम 10 प्रतिशत कार्य का औचक निरीक्षण कर निर्मित ढांचे में उपयोग की गई सामग्री की सेम्पलिंग कराकर परीक्षण कराया जायेगा। इस पर आने वाला व्यय मिशन द्वारा वहन किया जावेगा, परंतु निर्माण पर लगी सामग्री की गुणवत्ता से संबंधित शिकायत हितग्राही से प्राप्त होने पर इस कार्य पर आने वाले व्यय का भार संबंधित कम्पनी/संस्था/फेब्रिकेटर द्वारा वहन किया जावेगा। यदि निर्माण में गुणवत्ता युक्त सामग्री का उपयोग किया जाना नहीं पाया गया तो संबंधित को पुनः वह सामग्री प्रदाय कर ढांचे को दुरुस्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा अमानक स्तर की सामग्री का उपयोग करने के फलस्वरूप प्रथमतः चेतावनी तथा पुनरावृत्ति किये जाने पर संबंधित कम्पनी/संस्था/फेब्रिकेटर को काली सूची में डाला जाकर प्रदेश में कार्य करने पर प्रतिबंधित किया जा सकेगा। इस बात का उल्लेख कम्पनी के साथ निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध में भी किया जायेगा।

13. तकनीकी एवं वित्तीय अधिकार :- राज्य योजना के निहित प्रावधानों के अन्तर्गत समस्त तकनीकी एवं वित्तीय अधिकार जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान को प्रदत्त होंगे। MIDH अंतर्गत जिला उद्यानिकी मिशन समिति को तकनीकी एवं वित्तीय अधिकार प्रदत्त होंगे।

उप/सहायक संचालक उद्यान कृषकवार स्वीकृत अनुदान सूची जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति को भी उपलब्ध करायेंगे तथा विभागीय वेबसाइट पर इन्द्राज कराने के लिये आयुक्त उद्यानिकी को प्रेषित करेंगे।

नोट : उपरोक्तानुसार दिये गये मार्गदर्शी निर्देश विभाग द्वारा संचालित राज्य/केन्द्रीय योजनाओं पर समान रूप से लागू होंगे।

(महेन्द्र सिंह धाकड़)
संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी म.प्र., भोपाल

नंदन फलोद्यान उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन

वृक्षों का अस्तित्व पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के लिए आवश्यक है। वृक्षों और मानव की आजीविका का भी संबंध है। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में यदि उद्यानिकी प्रजाति के पौधों का रोपण कर फलोद्यान विकसित किये जायें तो यह फलोद्यान पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में सहायक होने के साथ-साथ ग्रामीणों के लिए आय सृजन का स्थायी स्त्रोत भी उपलब्ध करा सकेंगे। इसी उद्देश्य से मध्यप्रदेश में नंदन फलोद्यान उपयोजना की आयोजना तैयार कर क्रियान्वयन किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 6673/22/वि-7/एन.आर.ई.जी./2207 **भोपाल, दिनांक 20.04.2007**

प्रति,

1. **जिला कार्यक्रम समन्वयक**
   एवं कलेक्टर
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना - मध्यप्रदेश
2. **जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं**
   मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - मध्यप्रदेश
3. **कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)**
   राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - मध्यप्रदेश
   जिला - श्योपुर, छतरपुर, मंडला, शहडोल, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल, खरगौन, सिवनी, डिण्डौरी, टीकमगढ़, खण्डवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, सतना, सीधी, उमरिया, गुना अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा, छिन्दवाड़ा, देवास, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, राजगढ़ एवं कटनी (म.प्र.)

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - मध्यप्रदेश के अंतर्गत शामिल जिलों में "नंदन फलोद्यान" उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में।

1. **पृष्ठभूमि :** सर्वविदित है कि वृक्षों का अस्तित्व पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के लिए आवश्यक है। वृक्षों और मानव की आजीविका का भी सनातन संबंध रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में यदि उद्यानिकीद प्रजाति के पौधों का रोपण कर फलोद्यान विकसित जायें तो यह फलोद्यान पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में सहायक होने के साथ-साथ ग्रामीणों के लिए आय सृजन का स्थायी स्त्रोत भी उपलब्ध करा सकेंगे।

   उक्त के अनुक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - मध्यप्रदेश के अंतर्गत शामिल जिलों में "नंदन फलोद्यान" उपयोजना की आयोजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना है। "नंदन फलोद्यान" उपयोजना के अंतर्गत पात्र एवं चयनित हितग्राहियों के स्वामित्व वाली निजी भूमि पर एकल गतिविधि के रूप में अथवा सामूहिक गतिविधि के रूप में उद्यानिकी प्रजाति के फलोद्यान विकसित करने हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर इसका क्रियान्वयन किया जायेगा। तत्संबंध में यह आदेश जारी किये जा रहे हैं।

2. **कार्य क्षेत्र :** राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - मध्यप्रदेश के अंतर्गत शामिल सभी जिलों के सभी ग्राम प्रस्तावित "नंदन फलोद्यान" उपयोजना के कार्य क्षेत्र होंगे।

3. **पात्र हितग्राही :**

3.1 भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 07 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की अनुसूची 1 की

कंडिका 1(4) में संशोधन करते हुए निम्नानुसार वर्ग के हितग्राहियों के स्वामित्व वाली भूमि में उद्यानिकी प्रजाति के फलोद्यान विकसित करने का प्रावधान किया गया है :

1. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के परिवार
2. गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार
3. भूमि सुधार (Land reform) के हितग्राही
4. इंदिरा आवास योजना के हितग्राही

3.2 अतः "नंदन फलोद्यान" उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु केवल उपरोक्त वर्गों में से कार्य क्षेत्र के ऐसे हितग्राही परिवार पात्र होंगे, जो निम्न मानदण्ड की पूर्ति करते हैं :-

"जिनके स्वामित्व वाली भूमि (कृषि भूमि एवं उत्पादन योग्य पड़त भूमि) की जोत ग्राम में एक ही जगह पर अथवा अलग-अलग जगहों पर परिवार के मुखिया के नाम पर या संयुक्त खाते के रूप में कम से कम 2 हेक्टेयर हो। यदि किसी ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र में 2 हेक्टेयर अथवा इससे अधिक जोत की भूमि के स्वामित्व वाले हितग्राही परिवार उपलब्ध नहीं हों तो 2 हेक्टेयर से कम एवं न्यूनतम 1 हेक्टेयर तक की सीमा तक की जोत की भूमि के स्वामित्व वाले हितग्राही परिवार पात्र हो सकेंगे।"

4. आयोजना व क्रियान्वयन

4.1 सहयोग दलों की नियुक्ति :

उद्यानिकी प्रजाति के सफल वृक्षारोपण के लिए विभिन्न तकनीकी पहलुओं जैसे प्रजाति का चयन, क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, भूमि की गुणवत्ता इत्यादि की उपयुक्तता का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अतः नंदन फलोद्यान उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न घटकों के परीक्षण और ग्राम पंचायतों व हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करने के लिए प्रत्येक 5 से 10 ग्राम पंचायतों के समूह हेतु एक-एक सहयोग दल की नियुक्ति की जायेगी। प्रत्येक सहयोग दल में उद्यानिकी विभाग अथवा कृषि विभाग के एक सक्षम तकनीकी अधिकारी (जैसे ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी, उद्यान अधीक्षक इत्यादि) एक उपयंत्री तथा संबंधित क्षेत्र के पटवारी को शामिल किया जायेगा। उद्यानिकी विभाग अथवा कृषि विभाग के तकनीकी अधिकारी सहयोग दल के "दल प्रमुख" होंगे। जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायतवार ऐसे सहयोग दलों का गठन कर पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे, जिसकी प्रतिलिपि सभी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जायेगी।

4.2 पात्र हितग्राहियों से प्रस्ताव प्राप्त करना :

ग्राम पंचायत रोजगार की मांग हेतु आवेदन प्राप्त करते समय पैरा - 3.2 में उल्लेखित अनुसार पात्र हितग्राहियों को "नंदन फलोद्यान" उपयोजना के प्रावधानों (विशेषकर पैरा - 4.4.2 अनुसार वृक्षारोपण पद्धति, पैरा - 4.4.3 अनुसार ली जाने वाली प्रजातियों एवं पैरा - 4.5.1 अनुसार अनुमानित लागत : जिसे योजना से वित्त पोषित किया जायेगा) के संबंध में अवगत कराएगी। तदोपरांत ग्राम पंचायत इन पात्र हितग्राहियों में से ऐसे हितग्राही जो उनकी निजी भूमि पर उद्यानिकी प्रजाति का वृक्षारोपण करने के इच्छुक हैं, उनसे रोजगार की मांग के आवेदन के साथ-साथ "नंदन फलोद्यान" हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव भी प्राप्त करेगी। इस प्रस्ताव में हितग्राही द्वारा वृक्षारोपण के प्रस्तावित स्थल का विवरण/क्षेत्रफल, वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित प्रजातियां, स्वयं के पास उपलब्ध सिंचाई सुविधा आदि का विवरण अंकित किया जायेगा।

4.3 हितग्राहियों का चयन व गतिविधि का स्वरूप निर्धारण :

4.3.1 ग्राम पंचायत द्वारा "नंदन फलोद्यान" हेतु हितग्राहीवार प्रस्तावों का विवरण ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जायेगा। ग्राम सभा द्वारा ऐसे हितग्राही जिनके पास प्रस्तावित वृक्षारोपण की सिंचाई हेतु पर्याप्त व्यवस्था है, को प्रथम प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जायेगा। ऐसे हितग्राही जिनके पास प्रस्तावित वृक्षारोपण की सिंचाई हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, को द्वितीय प्राथमिकता क्रम में इस शर्त के साथ चयनित किया जा सकेगा कि उनके लिए "नंदन फलोद्यान" उपयोजना का कार्य लिये जाने से पूर्व उन्हें कपिलधारा उपयोजना के प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी।

4.3.2 "नंदन फलोद्यान" उपयोजना हेतु हितग्राहियों का चयन होने के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार गतिविधि का स्वरूप निर्धारण किया जायेगा -

- ऐसे चयनित हितग्राही परिवार जो उनकी निजी भूमि पर प्रस्तावित फलोद्यान विकास का कार्य पृथक-पृथक लेना चाहते हैं, उनके लिए "नंदन फलोद्यान" उपयोजना एकल गतिविधि के स्वरूप में ली जा सकेगी।
- ऐसे चयनित हितग्राही परिवार जिनकी निजी भूमि एक साथ जुड़ी हुई हो अर्थात् साथ-साथ लगी हुई हो, उनकी सम्मिलित निजी भूमि

पर प्रस्तावित फलोद्यान विकास का कार्य एक बड़े भू-भाग पर एक साथ लिया जा सकता है। ऐसे हितग्राहियों के लिए "नंदन फलोद्यान" उपयोजना सामूहिक गतिविधि के स्वरूप में ली जा सकेगी। "नंदन फलोद्यान" उपयोजना के अंतर्गत प्रस्तावित फलोद्यान विकास सामूहिक गतिविधि के रूप में लेने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित चयनित हितग्राहियों को "उपयोगकर्ता दल" भी अनिवार्यतः गठित किया जायेगा। ऐसे उपयोगकर्ता दल के सदस्यों की संख्या 5 या उससे अधिक भी हो सकती है। परन्तु दल गठित करने के लिए न्यूनतम 5 हितग्राही परिवार आवश्यक होंगे।

- ग्राम पंचायत द्वारा "नंदन फलोद्यान" उपयोजना हेतु ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित और चयनित हितग्राहियों की एक सूची प्राथमिकता क्रम में पृथक से तैयार कर अपने पास रखेगी। इस सूची में एकल गतिविधि के स्वरूप में फलोद्यान विकास का कार्य लेने वाले हितग्राहियों तथा सामूहिक गतिविधि के स्वरूप में फलोद्यान विकास का कार्य लेने वाले हितग्राहियों व इनके दल का भी स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

4.4 आयोजना के विभिन्न घटकों का निर्धारण व आकलन :

ग्राम पंचायत "नंदन फलोद्यान" हेतु चयनित हितग्राहियों से प्राप्त प्रस्तावों को हितग्राहीवार एवं हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलवार उनकी पंचायत के लिए नियुक्त सहयोग दल के दल प्रमुख को प्रेषित करेगी। सहयोग दल द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर प्रस्तावों का परीक्षण कर "नंदन फलोद्यान" की आयोजना के विभिन्न घटकों का निम्नानुसार निर्धारण किया जायेगा :-

4.4.1 भूमि/स्थल का निर्धारण :

"नंदन फलोद्यान" उपयोजना के अंतर्गत प्रस्तावित फलोद्यान विकास हेतु इस तथ्य का ध्यान रखा जाना है कि अच्छी उपजाऊ कृषि भूमि को वृक्षारोपण हेतु चयनित नहीं किया जाये। हितग्राही परिवार की निजी भूमि के ऐसे भू-भाग का चयन "नंदन फलोद्यान" उपयोजना हेतु किया जाना है, जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है अथवा पड़त भूमि है। अतः तद्नुसार सहयोग दल हितग्राही परिवारों की सहमति से "नंदन फलोद्यान" हेतु हितग्राहीवार एवं हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलवार प्रस्तावित भूमि/स्थल तथा इनके क्षेत्रफल (जिसमें वृक्षारोपण किया जायेगा) का निर्धारण करेंगे। इस निर्धारण के साथ-साथ सहयोग दल में शामिल पटवारी भूमि के स्वामित्व, भूमि की उपलब्धता तथा वर्तमान भूमि उपयोग का सत्यापन भी करेंगे।

4.4.2 वृक्षारोपण पद्धति का निर्धारण :

"नंदन फलोद्यान" उपयोजना हेतु निम्न दो प्रकार की वृक्षारोपण पद्धति अपनाई जा सकती है :-

1. चयनित भूमि के संपूर्ण भू-भाग पर केवल पौधों (उद्यानिकी प्रजाति के) का निर्धारित अंतराल पर रोपण जिले "खण्ड उद्यानिकी वृक्षारोपण" (Block Horticulture Plantation) कहा जायेगा।

2. चयनित भूमि के भू-भाग पर अंतरवर्तीय कृषि फसलों के साथ-साथ पौधों (उद्यानिकी प्रजाति के) का भी निर्धारित अंतराल पर रोपण जिसे "कृषि-उद्यानिकी वृक्षारोपण" (Agro-Horticulture Plantation) कहा जायेगा।

अतः उक्त के अनुक्रम में सहयोग दल, हितग्राही एवं हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलों के सदस्यों की सहमति ने "नंदन फलोद्यान" हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण पद्धति का निर्धारण करेगा कि वे "खण्ड उद्यानिकी वृक्षारोपण" करना चाहते हैं अथवा "कृषि उद्यानिकी वृक्षारोपण" करना चाहते हैं। "कृषि उद्यानिकी वृक्षारोपण" लिये जाने पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अंतरवर्तीय फसलें ली जा सकती हैं। इन अंतरवर्तीय फसलों को लगाने का व्यय हितग्राही द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। सहयोग दल द्वारा वृक्षारोपण पद्धति के निर्धारण के समय हितग्राहियों को अंतरवर्तीय फसलों के संबंध में समझाईश/मार्गदर्शन दिया जाये।

4.4.3 प्रजातियों का निर्धारण :

यद्यपि हितग्राही परिवार द्वारा ग्राम पंचायत को "नंदन फलोद्यान" हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव में फलोद्यान विकास हेतु प्रस्तावित प्रजातियों का उल्लेख किया जायेगा। परन्तु सहयोग दल में शामिल उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग के तकनीकी अधिकारी म.प्र. के विभिन्न Agro Climatic Zone में अनुशंसित प्रजातियों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय क्षेत्र (जहां वृक्षारोपण किया जाना है) के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त प्रजाति का निर्धारण संबंधित हितग्राही या हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलों के मुखिया से विचार विमर्श कर सकेंगे।

4.4.4 फलोद्यान विकास हेतु प्रजातिवार लगाये जाने वाले पौधों की संख्या का आकलन व निर्धारण :

फलोद्यान विकास हेतु लगाई जाने वाली प्रजातियों का निर्धारण होने के पश्चात इन प्रजातियों के रोपण होने पर पौधों से पौधों की दूरी तथा कतार से कतार की दूरी को ध्यान में रखते हुए पौध-रोपण हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर सहयोग दल में शामिल उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग के तकनीकी अधिकारी द्वारा प्रजातिवार लगाये जा सकने वाले पौधों की संख्या का अनुमानित आकलन कर हितग्राही को अवगत कराया जायेगा। तदोपरांत पैरा - 4.4.2 अनुसार निर्धारित वृक्षारोपण पद्धति को ध्यान में रखते हुए हितग्राही एवं हितग्राहियों के

उपयोगकर्ता दलों के सदस्यों द्वारा प्रजातिवार लगाये जा सकने वाले पौधों की संख्या का निर्धारण करेंगे व इस संख्या से सहयोग दल को अवगत करायेंगे।

4.4.5 हितग्राही के पास उपलब्ध सिंचाई क्षमता का आकलन :

सहयोग दल हितग्राही के पास उपलब्ध सिंचाई स्त्रोतों का विश्लेषण इस आधार पर करेंगे कि "नंदन फलोद्यान" लगाये जाने पर क्या इस स्त्रोत से लगाये गये पौधों के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी अथवा नहीं। यदि हितग्राही एवं हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के पास सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध नहीं हैं तो तदाशय की जानकारी सहयोग दल अपने संज्ञान में लेंगे, ताकि ग्राम पंचायत को प्रेषित की जाने वाली अनुशंसा में इसका उल्लेख किया जा सके और इस अनुशंसा के आधार पर ग्राम पंचायत संबंधित हितग्राही/हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल को कपिल धारा उपयोजना के प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध कराने के उपरांत इन हितग्राही/हितग्राही समूह के लिए "नंदन फलोद्यान" उपयोजना का क्रियान्वयन कर सके।

4.5 प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना :

4.5.1 उपरोक्तानुसार पैरा - 4.4.1 से 4.4.5 में उल्लेखित परीक्षण व विभिन्न घटकों के निर्धारण के उपरांत सहयोग दल हितग्राहीवार अथवा हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलवार निर्धारित प्रपत्र में अपनी अनुशंसा तैयार करेंगे। इस अनुशंसा के आधार पर सहयोग दल में शामिल उपयंत्री द्वारा निर्देशों के अनुसार विभिन्न फलदार प्रजाति के फलोद्यान विकास के मॉडल प्राक्कलनों के दृष्टिगत "नंदन फलोद्यान" उपयोजना हेतु हितग्राहीवार अथवा हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलवार प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। ये मॉडल प्राक्कलन पूर्णतः सांकेतिक एवं मार्गदर्शी हैं। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इन मॉडल प्राक्कलन में दर्शाये गये व्यय अनुमानों में परिवर्तन कर "नंदन फलोद्यान" उपयोजना हेतु प्राक्कलन तैयार किये जा सकते हैं। सहयोग दल की अनुशंसा व उपयंत्री द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन को एकजाई कर प्रत्येक हितग्राहीवार अथवा हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलवार "नंदन फलोद्यान" हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट पृथक-पृथक तैयार की जाएगी। इस प्रकार तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चयनित प्रजातियों का विवरण, चयनित भूमि व क्षेत्रफल का विवरण, वृक्षारोपण पद्धति, सिंचाई तथा फलदार वृक्षारोपण करने हेतु विभिन्न अवयवों/मदों पर आने वाले व्यय की लागत का विवरण, पौधों की सुरक्षा हेतु फेंसिंग या प्रति पौधे के लिए बागड़ एवं 5 वर्षों तक पौधों की निंदाई/गुड़ाई/सिंचाई/खाद एवं सुरक्षा/मृत पौधों को बदलने का विवरण शामिल होगा।

4.5.2 ऐसे हितग्राही अथवा हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल जिनके पास "नंदन फलोद्यान" हेतु सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध नहीं हैं, उनके प्रकरणों में सहयोग दल अपनी अनुशंसा में तदाशय का स्पष्ट उल्लेख कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके आधार पर ग्राम पंचायत पैरा-4.3.1 और पैरा-4.4.5 के अनुक्रम में संबंधित हितग्राहियों के लिए "कपिलधारा उपयोजना" के प्रावधानों (इस विभाग के आदेश क्र. 6077/22/वि-9/आरजीएम/07 भोपाल दिनांक 7.4.2007) के अनुरूप सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध कराने का कार्य इन हितग्राहियों की "नंदन फलोद्यान" उपयोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल कर करायेगी।

4.5.3 सुरक्षा हेतु फेंसिंग का प्रावधान व प्राक्कलन में इसका समावेश :

"नंदन फलोद्यान" उपयोजना के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए फेंसिंग के निम्न दो मॉडल उपयोग में लाये जा सकते हैं :-

- ऐसा वृक्षारोपण जहां एक ही स्थल पर रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 200 से कम हो उन स्थलों पर प्रत्येक पौधे की स्थानीय तौर पर उपलब्ध कंटीली झाड़ियों या बांस के ट्री गार्ड लगाकर व्यक्तिगत रूप से फेंसिंग की जा सकती है अथवा वृक्षारोपण स्थल के चारों ओर सीपीटी खोदकर फेंसिंग की जा सकती है।
- ऐसा वृक्षारोपण जहां एक ही स्थल पर रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 200 से अधिक हो व रोपण का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से अधिक हो उन स्थलों पर Barbed Wire की फेंसिंग की जा सकती है। Barbed Wire फेंसिंग के व्यय अनुमान एवं उसके Parameters एवं Specification का उल्लेख पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2402/22/वि-7/ग्रा.रो./2006 दिनांक 22.2.2006 में किया गया है।

  अतः "नंदन फलोद्यान" उपयोजना हेतु हितग्राहीवार/हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलवार प्राक्कलन तैयार करते समय इसमें उपरोक्तानुसार फेंसिंग के प्रावधानों को ध्यान में रखकर फेंसिंग की लागत का यथोचित समावेश किया जायेगा।

4.6 प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अनुमोदन व स्वीकृतियां :

4.6.1 उपरोक्तानुसार सहयोग दल द्वारा "नंदन फलोद्यान" उपयोजना हेतु हितग्राहीवार अथवा हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलवार तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट ग्राम पंचायत को प्रेषित की जायेगी। ग्राम पंचायत अपनी बैठक में "नंदन फलोद्यान" उपयोजना की ऐसी सभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अनुमोदन करेगी। तत्पश्चात् इसका अनुमोदन जनपद एवं जिला पंचायत से कराया जावेगा। त्रिस्तरीय पंचायत से अनुमोदित "नंदन

फलोद्यान" उपयोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ही "शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट" में शामिल किया जावेगा।

4.6.2 ऐसे हितग्राही अथवा हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल जिनके पास "नंदन फलोद्यान" हेतु सिंचाई स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, उनके प्रकरणों में "नंदन फलोद्यान" की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ-साथ "कपिल धारा उपयोजना" के प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदित व स्वीकृत कार्य भी "शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट" में शामिल किया जायेगा।

4.6.3 "नंदन फलोद्यान" उपयोजना के कार्यों की प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - मध्यप्रदेश के तहत समय-समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप जारी की जायेगी।

5. क्रियान्वयन व गुणवत्ता :-

5.1 "नंदन फलोद्यान" उपयोजना के स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन का प्राथमिकता क्रम ग्राम पंचायत निर्धारित कर सकेगी तथा तत्संबध में हितग्राहियों/हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के नाम व इनके कार्य का संक्षिप्त विवरण (क्षेत्रफल, ली गई प्रजातियां व इनकी संख्या तथा लागत) अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगी।

5.2 क्रियान्वयन एजेंसी :

"नंदन फलोद्यान" उपयोजना के उपरोक्तानुसार अनुमोदित व प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा सहयोग दल द्वारा हितग्राहियों/हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल हेतु अनुशंसित स्थल पर किया जायेगा। कार्यों का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 3136/22/वि-7/एमपीआरईजीएस/2007 दिनांक 20.2.2007 के अनुसार स्वसहायता समूहों के माध्यम से भी ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण में किया जा सकता है। परन्तु ऐसे स्वसहायता समूह प्रथम ग्रेड उत्तीर्ण होना चाहिए। ग्राम पंचायत व सहयोग दल के दल प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य का क्रियान्वयन निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जाये और तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण हो। कार्य की गुणवत्ता के संदर्भ में किसी भी स्थिति में कोई समझौता न किया जाये। अधूरे कार्य को किसी भी स्थिति में पूर्ण मानकर समाप्त न किया जाये।

5.3 वृक्षारोपण हेतु पौध की व्यवस्था :

"नंदन फलोद्यान" उपयोजना हेतु फलोद्यान विकास के लिए श्रेष्ठ एवं उत्तम किस्म की पौध उपलब्ध कराने का दायित्व ग्राम पंचायत का होगा। इस हेतु ग्राम पंचायत शासकीय विभाग अथवा शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/उपक्रम से इन विभाग/संस्थाओं द्वारा निर्धारित दर पर पौध का क्रय कर सकेंगी। इन शासकीय विभाग अथवा शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/उपक्रम से पौध की व्यवस्था नहीं हो पाने पर ग्राम पंचायतें उद्यानिकी विभाग द्वारा निर्धारित दर पर उनके द्वारा निर्धारित निजी संस्थाओं से पौध का क्रय कर सकेंगी, परन्तु इस प्रकार क्रय की गई पौध की गुणवत्ता श्रेष्ठ एवं उत्तम होना चाहिए। "नंदन फलोद्यान" उपयोजना हेतु रोपित किए जाने वाले पौधों का प्रमाणीकरण सहयोग दल के दल प्रमुख द्वारा किया जायेगा।

उक्त के अनुक्रम में "नंदन फलोद्यान" उपयोजना हेतु रोपित किये जाने वाले पौधों की आवश्यकता का आकलन करना अत्यन्त आवश्यक है। यह आकलन ग्राम पंचायत द्वारा "नंदन फलोद्यान" उपयोजना हेतु स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर प्रजातिवार किया जायेगा। चूंकि वृक्षारोपण के उपरांत कुछ पौधे जीवित नहीं रह पाते हैं, अतः 10% से 20% अतिरिक्त पौधों का प्रबंध रखा जाना उचित होगा।

5.4 रोपण हेतु आवश्यक तैयारियां व पौध रोपण :

5.4.1 भूमि की तैयारी :

सर्वप्रथम चयनित भूमि की साफ सफाई तथा प्राकृतिक रूप से उगे हुए पौधों के ठूंठों की कटाई तथा झाड़ियों इत्यादि की साफ सफाई का कार्य किया जाये। यह कार्य सामान्यतः माह फरवरी के अंत तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। तत्पश्चात चयनित प्रजाति के अनुसार निश्चित अंतराल पर निश्चित आकार के गड्ढे खोदे जायें। गड्ढों की माप भूमि प्रकार एवं प्रजाति के अनुसार 45x45, 60x60, 100x100 से.मी. हो सकती है। इन गड्ढों की कतारें तथा दिशा स्थानीय स्थलाकृति के आधार पर निश्चित करना चाहिए। गड्ढों की खुदाई का काम सामान्यतः मार्च माह के अंत तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए जिससे गड्ढे के अन्दर एवं निकाली गयी मिट्टी में पाये जाने वाले हानिकारक जीव नष्ट हो जायें। मई माह में प्रारंभ कर इसके अन्त तक इन गड्ढों की वापस भराई का काम पूर्ण हो जाना चाहिये। गड्ढे भरने के लिये गड्ढे से निकाली गई मिट्टी, सड़ी गोबर की खाद, रेत में क्रमशः 2:1:1 या 1:1:1 का अनुपात रखा जाना चाहिये। यदि क्षेत्र में अच्छी किस्म की मिट्टी उपलब्ध नहीं है तो बाहरी क्षेत्र से दोमट मिट्टी लाकर गोबर की खाद व रेत मिलाकर गड्ढे में भरी जाये। भूमिगत कीटों, दीमक एवं अन्य हानिकारक जीवों के नियंत्रण हेतु थीमेट/फोरेट दवाओं का उपयोग लाभदायक सिद्ध होता है।

5.4.2 पौधरोपण :

सफल फलोद्यान विकास हेतु यह आवश्यक है कि पौधरोपण का कार्य वर्षाऋतु आरंभ होते ही पहली अच्छी बारिश के तत्काल बाद आरंभ

कर दिया जाये। पौधरोपण का कार्य सामान्यतः 15 सितम्बर तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। पौधरोपण के दौरान निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिये :-

- पौधरोपण के समय पौधे स्वस्थ होने चाहिए। रोपित किये जाने वाले पौधे के तने मजबूत होने चाहिये।
- पौधे लगाने के ठीक पहले लिपटी हुई घास या भीगे बोरों के टुकड़ों अथवा पॉलीथीन को जड़ों की मिट्टी के गोले से हटा देना चाहिए। मिट्टी का गोला जड़ों को सुरक्षित रखता है।
- गड्ढों के बीच से केवल उतनी ही मिट्टी निकालें, जिससे मिट्टी के गोले के साथ पौधे की जड़ें उसमें ठीक से बैठ सकें। यहां इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि मिट्टी के गोले के साथ पौधों को समान गहराई पर ही लगाना चाहिये। यदि पौधे को अधिक गहराई पर लगा दिया जायेगा तो तना पानी/मिट्टी के संपर्क में आकर सड़/गल सकता है और यदि कम गहराई पर रोपण किया जायेगा तो बारिश के दौरान मिट्टी के गोले की मिट्टी हट जाने के कारण पौधे की जड़ें खुल (एक्सपोज) जायेंगी। और पौधे की जीवित रहने की संभावना कम हो सकती है।
- पौधे गड्ढों में सीधे लगाने चाहिए और उनकी जड़ें भी स्वाभाविक दिशा में रखनी चाहिए।
- बंडिंग/ग्राफ्टिंग से तैयार पोधे का यूनिट यूनियन (संगम बिन्दु) हवा चलने की दिशा में रखना चाहिए, जिससे हवा के दबाव से यूनियन टूट या खुल ना सकें। मुख्यतः संधि व बडिंग (कलिका रोपण) के स्थान पर किसी बंधन आदि की गांठ नहीं रहनी चाहिए।
- पौधे लगाने के बाद जड़ के आसपास चारों तरफ से मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। जमीन के तल से मिट्टी ऊपर उठी एवं ढालू रहे ताकि बारिश के पानी का जमाव न हो सके व पौधों की जड़ों के आसपास हवा न रहे।
- पौधे लगाने के तुरन्त बाद हल्का पानी दिया जाना चाहिए।
- शुरुआत से ही लकड़ी गाड़कर पौधों को सहारा (स्टेकिंग) देना चाहिए ताकि वे सीधे रहें।

5.5 निंदाई, गुड़ाई व गेप फिलिंग :

घास, फूस की निंदाई नियमित रूप से की जानी चाहिये। सप्ताह में कम से कम एक बार निंदाई, गुड़ाई आवश्यक है। छोटे पौधों की जड़ों को नुकसान न पहुंचे इसका ध्यान रखा जाना चाहिये। लगाये गये पौधों में से मृत पौधों को आगामी 2 वर्षों में गेप फिलिंग (20% की सीमा तक) कर पुनः लगाया जा सकेगा।

5.6 खाद एवं कीटनाशक दवा :

पौधों को समय-समय पर गोबर खाद अथवा रासायनिक खाद उचित मात्रा में देनी चाहिये। कीड़े अथवा दीमक लगने पर उचित मात्रा में यथोचित कीटनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिये।

5.7 "नंदन फलोद्यान" उपयोजना के कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - मध्यप्रदेश के तहत समय-समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे। हितग्राही अथवा हितग्राहियों के समूह के सदस्य भी उसके लिए क्रियान्वित किये जा रहे कार्य की निगरानी कर सकेगा।

5.8 कार्य के पूर्ण होने पर हितग्राही अथवा हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल के मुखिया से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिस पर सरपंच तथा सहयोग दल के दल प्रमुख कार्य की पूर्णता प्रमाणित कर हस्ताक्षर करेंगे। तदोपरांत यह पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अपने रिकार्ड में संधारित करेगी। कार्य स्थल पर भूमि स्वामी हितग्राही/उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के नाम और कार्य का संक्षिप्त विवरण (क्षेत्रफल, ली गई प्रजातियां व इनकी संख्या तथा लागत) अंकित करते हुए एक बोर्ड भी लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत अपने भवन के सहजगोचर स्थल पर "नंदन फलोद्यान" उपयोजना से लाभान्वित हितग्राहियों के नाम और कार्य का संक्षिप्त विवरण (क्षेत्रफल, ली गई प्रजातियां व इनकी संख्या तथा लागत), कार्य पर व्यय राशि तथा कार्य की पूर्णता दिनांक पेंट से अंकित करेगी।

5.9 "नंदन फलोद्यान" उपयोजना के अंतर्गत किये गये फलोद्यान विकास के कार्य का विवरण पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में भी अनिवार्यतः दर्ज किया जाये।

5.10 विभाग के आदेश क्र. 3665/22/वि-7/ग्रा.यां.से./06 दिनांक 22.6.2006 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत किये जाने वाले कार्यों का Exit Protocol तैयार किये जाने बाबत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप "नंदन फलोद्यान" उपयोजना के कार्यों का Exit Protocol अनिवार्यतः संधारित किया जाये। विशेषकर कार्य संपादन के पूर्व व बाद का फोटोग्राफ अनिवार्यतः संधारित किया जाये।

6. प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन व सहायता :

6.1 "नंदन फलोद्यान" उपयोजना के हितग्राहियों को फलोद्यान विकास किये जाने व रखरखाव संबंधी विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण का आयोजन कार्यक्रम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) द्वारा उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग/वन विभाग के समन्वय से किया जायेगा। हितग्राहियों को गतिविधि आरंभ होने पर आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन व सहायता सहयोग दल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

7. मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग :

7.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों में "नंदन फलोद्यान" उपयोजना के कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्ध क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।

7.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा भी "नंदन फलोद्यान" उपयोजना के कम से कम 20% कार्यों की गुणवत्ता तथा समयबद्ध क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जायेगी।

7.3 "नंदन फलोद्यान" उपयोजना के कार्यों की प्रत्येक रिपोर्टिंग माह के अंत तक की प्रगति की एकजाई जानकारी (Cummulative Progress) जिला पंचायत द्वारा विकासखण्डवार संकलित कराकर आगामी माह की 5 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के तारतम्य में "नंदन फलोद्यान" उपयोजना हेतु आयोजना व क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारंभ की जाये।

आने वाले वर्षाकाल में "नंदन फलोद्यान" उपयोजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 10 हेक्टेयर में फलोद्यान वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा जाये।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्त, म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र. 6674/22/वि-7/एन.आर.ई.जी./2007 **भोपाल, दिनांक 20.04.2007**

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
2. आयुक्त, उद्यानिकी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
3. संभागीय आयुक्त, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, चम्बल, जबलपुर, सागर, उज्जैन एवं रीवा।
4. परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जिला पंचायत श्योपुर, छतरपुर, मंडला, शहडोल, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल, खरगोन, सिवनी, डिण्डौरी, टीकमगढ़, खण्डवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, सतना, सीधी, उमरिया, गुना, अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा, छिन्दवाड़ा, देवास, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, राजगढ़ एवं कटनी (म.प्र.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्त, म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में संस्थाओं को संबद्ध किए जाने के निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 8747/22/वि-9/एम.डी.एम./2016 **भोपाल, दिनांक 26.07.2016**

प्रति,

1. **कलेक्टर**
   जिला - समस्त
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
   जिला पंचायत - समस्त

विषय : मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में स्वयं सेवी/अशासकीय संस्थाओं को संबद्ध किये जाने, शहरी क्षेत्र में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु निर्देश, नियम एवं शर्तों में संशोधन।

संदर्भ : कार्यालयीन पत्र क्र. 14173/22/वि-9/एमडीएम/11 भोपाल दिनांक 19.09.2011

संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शहरी क्षेत्रों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन "सामुदायिक केन्द्रीयकृत किचिनशेड व्यवस्था" के माध्यम से किया जाने संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में स्वयंसेवी/अशासकीय संस्थाओं को संबद्ध किये जाने के संबंध में पूर्व में परिपत्र क्र. 16306/22/वि-9/एमडीएम/11 भोपाल दिनांक 17.11.2011 से जारी निर्देशों के अंतर्गत और बेहतर क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं पारदर्शी चयन हेतु निम्न संशोधन किए जाते हैं :-

1. शहरी क्षेत्र में स्वयं सेवी/अशासकीय संस्थाओं के चयन के मापदण्ड :-

1.11 संस्था को न्यूनतम 5000 व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन पकाकार वितरित करने का 3 वर्ष का अनुभव हो।

1.13 ऐसी संस्थाओं के ही चयन पर विचार किया जाए जिनका विधिवत् पंजीयन किया गया हो तथा पंजीयन जीवित हो।

1.14 संस्थाओं के चयन के समय, स्थानीय स्तर पर पूर्व से इकाई स्थापित होने की बाध्यता नहीं रहेगी। अतः अंतिम चयनित संस्था को अधिकतम 02 माह की समयावधि में पूर्ण अधोसंरचना व आवश्यक मशीनरी सहित केन्द्रीयकृत किचिनशेड स्थापित करना होगा। (यदि उसकी पूर्व से केन्द्रीयकृत किचिनशेड इकाई स्थापित नहीं है।)

2. स्वयं सेवी/अशासकीय संस्थाओं के चयन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन

2.1 जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित विभागों जैसे - शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, आदिमजाति कल्याण विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग आदि के जिला अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए एक जिला स्तरीय चयन समिति का गठन किया जावे। नगर पंचायत अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/आयुक्त, नगर निगम को भी समिति में सम्मिलित किया जावे। समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को सचिव नामांकित किया जावे। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे।

3. संस्थाओं की शॉर्ट लिस्टिंग हेतु प्रक्रिया

3.3 संस्थाओं की शॉर्ट लिस्टिंग हेतु एक 100 अंकों का निम्नानुसार वर्णित स्केल विभिन्न मापदण्डों के आधार पर निर्धारित किया जावेः-

क्र.	मापदंड	निर्धारित अंक
1.	प्रस्तावित वर्ष के पूर्व पांच वर्षों का ऑडिट (प्रत्येक वर्ष के लिये दो अंक निर्धारित हैं, किंतु न्यूनतम 3 वर्ष का ऑडिट होना अनिवार्य है।)	10
2.	संस्था को 5000 लोगों का भोजन पकाने एवं वितरण करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव (किसी संस्थान का) होना अनिवार्य है।	20

3.	दो से अधिक राज्यों में निर्धारित कार्य अनुभव होने पर।	10
4.	पर्याप्त मात्रा तथा पर्याप्त क्षमता की आवश्यक मशीनरी की उपलब्धता जो Standard specification की हों। मशीनों की पर्याप्त self life हो तथा 5 वर्षों से ज्यादा पुरानी न हों। (जैसे - ऑटोमेटिक रोटी मेकिंग मशीन, बायलर, बर्तन साफ करने की मशीन, अनाज सफाई मशीन, आरओ, प्लांट, पैकेजिंग आदि के लिये प्रमाणित मशीनें व पर्याप्त संसाधन।)	20
5.	संस्था के पास मशीनरी स्थापित करने के लिये अधोसंरचना जैसे जमीन, भवन, शेड आदि की उपलब्धता।	10
6.	पोषण विशेषज्ञ की उपलब्धता	5
7.	संस्था का न्यूनतम टर्नओवर (रु. 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए) अ. 50 लाख से तीन करोड़ - ब. 3 करोड़ से अधिक होने पर -	 05 10
8.	भोजन के स्वास्थ्यकर (Hygienic) परिवहन हेतु संस्था के स्वयं के वाहन	05
9.	प्राथमिक उपचार व सुरक्षा व्यवस्था	05
10.	अपशिष्ट प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था	05
11.	अंकों का कुल योग :-	100

जिला कलेक्टर द्वारा गठित चयन समिति द्वारा आवेदित संस्थाओं को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर आकलन कर आवेदक संस्था की क्षमता, योग्यता, दक्षता तथा अनुभव सुनिश्चित होने पर अपने स्तर से ही अंतिम रूप से चयन किया जावेगा, उक्त मापदण्ड मार्गदर्शी व सुझावात्मक है। संबंधित जिले की चयन समिति कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु स्थानीय स्तर पर इसमें उपयुक्त संशोधन कर सकेगी, परन्तु इनका एक सुनिश्चित व तर्कसंगत आधार होना चाहिए।

4. स्वयं सेवी/अशासकीय संस्थाओं के अनुबंध की प्रक्रिया :-

4.1 जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा सर्वाधिक पात्र व उपयुक्त पाई गई चयनित संस्था का एक त्रिपक्षीय अनुबंध उस जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं नगर पंचायत अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/आयुक्त के मध्य निष्पादित किया जावेगा। प्रथम बार में 03 वर्ष के लिये अनुबंध होगा तथा विस्तार उपरांत एक बार में एक वर्ष के लिये किया जाएगा। अनुबंध का विस्तार संस्थाओं द्वारा मध्यान्ह भोजन संचालन के कार्य का आकलन कर संतोषजनक रिपोर्ट के आधार पर किया जावेगा।

4.2 प्रथम बार 03 वर्षों के लिए चयनित संस्था का कार्य प्रदर्शन संतोषजनक न पाया जाने पर 03 वर्ष के पूर्व भी परिषद् की अनुमति से नवीन निविदा आमंत्रित कर नई संस्थाओं का चयन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा सकेगा।

6.5 कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा संस्थाओं का अंतिम चयन उनके स्तर से ही किया जाकर सर्वाधिक पात्र संस्था/संस्थाओं को पूर्व पृष्ठ में वर्णित विभिन्न मापदंडों के आधार पर आकलन कर कार्यादेश जारी किया जायेगा। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली किसी भी संस्था को उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :-

1. कलेक्टर के निर्णय के विरुद्ध अपील 30 दिनों के अंदर संभाग आयुक्त के समक्ष की जा सकेगी।
2. संभाग आयुक्त के निर्णय से व्यथित होने पर संबंधित पक्ष द्वारा राज्य समन्वयक, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम को द्वितीय अपील की जा सकेगी। यह अपील संभाग आयुक्त के अपील आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के अंदर की जानी होगी।

6.6 शासन/परिषद् स्वमेव भी शिकायतों पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा।

6.7 प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्रों में अनिवार्यतः केन्द्रीयकृत किचिनशेड व्यवस्था के माध्यम से मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन आगामी तीन माह में सुनिश्चित किया जाये तथा इसके उपरांत सभी नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों में Viability के आधार पर केन्द्रीयकृत किचिनशेड व्यवस्था यथाशीघ्र लागू की जाये।

कृपया कार्यक्रम में स्वयंसेवी/अशासकीय संस्थाओं को संबद्ध किये जाने में शासन के उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(एस.आर. चौधरी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रति,
आयुक्त, पंचायत राज, भोपाल

मध्यप्रदेश पंचायिका का जून 2016 का अंक मिला। कृपया धन्यवाद स्वीकार करें। पत्रिका के अंकों की सामग्री का निरंतर पठन करने के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह पत्रिका अपने मूल उद्देश्यों अर्थात् पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप निकल रही है। सबसे बड़ी बात तो यह कि इसमें जो भी सामग्री, शब्द और चित्र रूप में प्रकाशित होती है, उसका जमीनी सच्चाईयों से तालमेल रहता है। अभिप्राय यह कि पत्रिका एवं विभाग का हितग्राही वर्ग साथ-साथ चल रहा है। पत्रिका के संपादक मण्डल को बधाई। आपका मार्गदर्शन तो इस सफलता की जड़ में है। यदि पत्रोत्तर जैसा स्तंभ प्रारंभ कर सकें तो हितग्राहियों के व्यापक हितमेव होगा।

- युगेश शर्मा
लेखक एवं पत्रकार
11, सौम्या एन्क्लेव, एक्सटेंशन, चूना भट्टी, भोपाल

संपादक महोदय,

मध्यप्रदेश पंचायिका के जुलाई 2016 का जैविक कृषि अंक मिला। इस अंक में प्रदेश के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री का जैविक कृषि को लेकर संदेश पंचायत स्तर तक पहुंचा है। वहीं जैविक कृषि के संबंध में दी गयी जानकारी सीखने, समझने के लिए पर्याप्त है। उम्मीद है इससे कृषक अवश्य लाभ प्राप्त करेंगे। आशा है इस प्रकार के विषय विशेष पर केन्द्रित अंक आगे भी पढ़ने को मिलेंगे।

बधाई और शुभकामनाएं।

- सूरजमल शर्मा
इन्द्रा नगर, उज्जैन (म.प्र.)

महोदय,

मध्यप्रदेश पंचायिका का जैविक खेती का अंक पढ़ने को मिला। अभिभूत हूं। परिवर्तन नजर आ रहा है। मध्यप्रदेश पंचायिका और बेहतरी की राह पर है। इस अंक में विषय वस्तु का समग्र स्वरूप उद्देश्य को सारगर्भित करता है। जैविक खेती को लेकर मार्गदर्शन, ज्ञान, अनुकरणीय की प्रेरणा और सरकार की योजनाएं सभी कुछ एक साथ समाहित हैं। इसे हम गागर में सागर कह सकते हैं।

प्रस्तुतीकरण की उत्कृष्टता ने अपनी छाप छोड़ी है। आशा है ये सिलसिला भविष्य में भी जारी रहेगा

- निवेदिता
नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.)

प्रिय संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का जून में प्रकाशित जल संरक्षण-संवर्धन अंक देखा। नि:संदेह यह पत्रिका जन साधारण के लिए अत्यधिक उपयोगी है। मध्यप्रदेश के जन, जीवन और समाज से जुड़ी जल की समस्या को बेहतर तरीके से विश्लेषण के साथ जल संरक्षण के उपाय को लेकर दी गयी जानकारी अनूठी है। मध्यप्रदेश पंचायिका ने जो विषय विशेषांक निकालने का क्रम शुरू किया है इससे संबद्ध सभी जानकारी एक साथ प्राप्त हो जाती है और अंक संग्रहणीय हो जाता है।

कोटिशः साधुवाद।

- सुभाष पवार
सेमझिरा, तह. मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)